www.dhyeyaias.com

मार्च 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 अमेरिका-तालिबान शांति समझौता: कितना कारगर

2 भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य

3 भारत में मनी लॉन्ड्रिंग: चुनौतियाँ एवं समाधान

4 ईज 3.0 रिपोर्ट: एक अवलोकन

5 पूर्वी घाट के संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता

6 विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2019: एक विश्लेषण

7 ग्रामीण विकास कार्यक्रम: एक समीक्षा

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

द्वारा

विनय सिंह

23 MARCH

11:30 AM

MUKHERJEE NAGAR DELHI

011-49274400

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

PERFECT7
एक परिचय

कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'PERFECT 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा प्रकाशित 'PERFECT 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

आशुतोष सिंह

प्रबंध सम्पादक

ध्येय IAS

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'PERFECT 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'PERFECT 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'PERFECT 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'PERFECT 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर 'PERFECT 7' के रंगीन संस्करण की शुरुआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही ध्येय IAS से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➲ •विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक ➲ •क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक ➲ •कुरबान अली

प्रबंध संपादक ➲ •आशुतोष सिंह

संपादक ➲ •जीत सिंह •अवनीश पाण्डेय •ओमवीर सिंह चौधरी •रजत झिंगन •शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग ➲ •प्रो. आर. कुमार •बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक ➲ •अजय सिंह •अहमद अली •गिर्राज सिंह तोमर •धर्मेन्द्र मिश्रा •रमा शंकर निषाद

लेखक ➲ •अशरफ अली •विवेक शुक्ला •स्वाति यादव •हरिओम •अंशु •सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक ➲ •रंजीत सिंह •रामयश अग्निहोत्री •राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक ➲ •संजन गौतम

विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➲ •गुफरान खान •राहुल कुमार

प्रारूपक ➲ •विपिन सिंह •रमेश कुमार, •कृष्णा कुमार •निखिल कुमार

टंकण ➲ •कृष्णाकान्त मण्डल

लेख सहयोग ➲ •मृत्युंजय त्रिपाठी •बाघेन्द्र प्रताप सिंह •स्नेहा तिवारी

कार्यालय सहायक ➲ •हरीराम •संदीप •राजू यादव •शुभम •अरुण त्रिपाठी •चंदन

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मार्च 2020 | अंक ➔ 03

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- अमेरिका-तालिबान शांति समझौताः कितना कारगर
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य
- भारत में मनी लॉन्ड्रिंगः चुनौतियाँ एवं समाधान
- ईज 3.0 रिपोर्टः एक अवलोकन
- पूर्वी घाट के संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता
- विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2019: एक विश्लेषण
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमः एक समीक्षा

✳ 7 ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

✳ 7 महत्वपूर्ण तथ्य 32

✳ 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 33

✳ 7 महत्वपूर्ण खबरें 34-36

✳ 7 महत्वपूर्ण बिंदुः साभार पीआईबी 37-40

✳ 7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ: ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 अमेरिका-तालिबान शांति समझौताः कितना कारगर

चर्चा का कारण

अमेरिका अंततः तालिबान के साथ एक ऐसा समझौता करने में सफल हो गया है, जिसके चलते अगले 14 महीनों में युद्ध से तबाह हुए अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी होने की संभावना है। अमेरिका और तालिबान के बीच इस बहुचर्चित समझौते पर, मध्य-पूर्व के देश कतर की राजधानी दोहा में हस्ताक्षर हुए। अमेरिका की तरफ से विशेष दूत जलमए खलीलजाद और तालिबान की तरफ से उसके राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते से पूर्व दोनों देशों ने आपस में विश्वास पैदा करने के लिए करीब एक सप्ताह तक हिंसा में कटौती (reduction of violence) करने का वादा किया था। किन्तु तालिबान ने साफ कहा है कि अफगान सरकार के खिलाफ उनका अभियान पहले की तरह ही जारी रहेगा। हालांकि तालिबान ने ये भी साफ कर दिया है कि विदेशी बलों पर अब उनका हमला नहीं होगा। अफगान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के समारोह में अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों के राजनयिक मौजूद थे।

समझौते के प्रमुख बिन्दु

- लगभग 19 साल बाद अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते ने अमेरिका के लिए अपने इतिहास के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए मंच तैयार किया।

- तालिबान एवं अमेरिका के बीच जो सहमति बनी है, उसके अनुसार अमेरिका अगले तीन से चार महीनो में अफगानिस्तान में मौजूद अपने 14 हजार सैनिकों की संख्या को घटाकर 8 हजार 600 तक ले आएगा।
- अमेरिका, अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिक तभी वापस बुलाएगा, जब तालिबान, इस समझौते के अंतर्गत तय हुई अपने हिस्से की सभी शर्तें पूरी करेगा। इस समझौते के अनुसार, तालिबान को अलकायदा से खुद को पूरी तरह से अलग करना होगा। साथ ही तालिबान को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका अथवा उसके सहयोगी देशों के विरुद्ध हमलो के लिए, अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग नही किया जाएगा।
- इस समझौते के अंतर्गत, अमेरिका ने तालिबान को ये वचन दिया है कि वो उसके विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध हटा लेगा। साथ ही तालिबान पर लगे अन्य बहुपक्षीय प्रतिबंधो को हटाने में भी सहयोग करेगा।
- इस समझौते के अंतर्गत कैदियों की अदला-बदली भी होनी है। अफगानिस्तान की जेलो में बंद लगभग पांच हजार तालिबानी लड़ाकों को, एक हजार अफगानी सुरक्षाकर्मियों की रिहाई के बदले में छोड़ा जाना है। ऐसा तब होगा, जब अफगानिस्तान की सरकार एवं तालिबान के बीच नार्वे की राजधानी ओस्लो में आगामी बातचीत आरंभ होगी।

अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चुनावी साल में बेहद महत्वपूर्ण समझौता है। पिछली बार राष्ट्रपति पद के प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी जनता से ये वादा किया था कि वो इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के 'अंतहीन युद्धों' को समाप्त करेंगे। इस समझौते के पश्चात, ट्रंप के पास मौका है कि वो अपनी जनता को ये बता सकें कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन, इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि, 'अगर तालिबान कुछ भी गड़बड़ करता है, तो हम इतनी ताकत से पलटवार करेंगे जैसा इससे पहले दुनिया ने देखा नहीं होगा।'

लगभग 19 साल पुराने अफगानिस्तान युद्ध में इस समझौता वार्ता का अपनी मंजिल तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस युद्ध के दौरान, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा धन खर्च किया है। साथ ही अमेरिका के 2400 से अधिक सैनिक इस जंग की भेंट चढ़ गए। इनके अतिरिक्त, 10 हजार अफगानी सुरक्षा बल, आम नागरिक और उग्रवादी भी इस युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं। ये समझौता इसलिए हो सका, क्योंकि दोनों पक्षों को इस बात का एहसास अच्छे से हो चुका है कि पूर्ण विजय दूर-दूर तक उनके हाथ आती नहीं दिख रही है। अमेरिका को इस युद्ध में काफी क्षति उठानी पड़ी है। इस कारण से अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में इस युद्ध को लेकर बहुत नाराजगी है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार ये कहते आए हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए अन्य देशों को अधिक प्रयास करने होंगे। उनका ये विचार, इस समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात भी दिखा, जब उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाएं, लंबे समय से अफगानिस्तान में 'हजारों आतंकवादियों' को मारती आई है और अब समय आ गया है कि अन्य देश भी शांति स्थापित करने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास करें। इसका मतलब ये कि अब अफगानिस्तान में स्थायी शांति की जिम्मेदारी तालिबान एवं अफगानिस्तान के अन्य पड़ोसी देशों की होगी। तालिबान को भी धीरे-धीरे ये एहसास हो रहा था कि वो वार्ता के माध्यम से ही अफगानिस्तान में जल्द से जल्द अपने लिए कोई राजनीतिक भूमिका प्राप्त कर सकता है।

कैदियों की अदला-बदली का मुद्दा

अमेरिका एवं तालिबान के बीच इस डील के पश्चात् अब अफगानिस्तान के तमाम पक्षों के बीच वार्ता की भूमिका तैयार हो गई है। किन्तु अफगानिस्तान के पक्षों के बीच मतभेद उस वक्त खुलकर सामने आ गए, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने

> **तालिबान को लेकर भारत की चिंताओं से दुनिया भलीभांति परिचित है। अमेरिका और तालिबान के बीच इस समझौते पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। भारत, अफ़गानिस्तान में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता के सभी अवसरों और प्रयासों का समर्थन करता है, जिनसे आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगना सुनिश्चित होता हो।**

अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते की एक शर्त, यानी कैदियों की अदला-बदली का विरोध किया और कहा कि, 'कैदियों की ऐसी अदला-बदली किसी भी वार्ता से पूर्व की शर्त नहीं हो सकती। बल्कि इसे तो समझौता वार्ता का हिस्सा नहीं होना चाहिए।' असल में अशरफ गनी इस समझौता वार्ता में अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो कुछ अन्य रियायतें हासिल कर सकें। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैदियों की रिहाई, अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि ये अफगान सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

अफगानिस्तान सरकार को यह चिंता है कि हक्कानी नेटवर्क, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के साथ कथित तौर पर संलिप्त हैं, और 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें रिहा करने से अफगानिस्तान में पुनः आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगेंगी।

इसके अलावा जानकारों का मानना है कि अशरफ गनी सरकार, जिसे भारत ने 2019 के चुनाव के विजेता के रूप में मान्यता दी है, केवल एक अंतरिम अवधि के लिए काम कर सकती है क्योंकि इस सरकार के ऊपर धोखे से जीत हासिल करने के आरोप लग रहे हैं। यह अफगानिस्तान की सरकार के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

अफगान नागरिक और तालिबान

तालिबान का मकसद अफगानिस्तान में सरकार बनाना जरूर है लेकिन अब हालात पहले से काफी कुछ बदल चुके हैं। अब अफगानिस्तान की फौज पहले की तरह कमजोर नहीं है। वह तालिबान के हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। इसके अलावा अफगानी भी तालिबान को पसंद नहीं करते हैं। अफगानी महिलाएं तालिबान के सख्त खिलाफ हैं। इसकी वजह है कि उन्होंने तालिबान हुकूमत का बुरा वक्त देखा है। बहुत कम जगहों पर खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में कुछ जगहों पर तालिबान को समर्थन देने वाले लोग मौजूद हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की हजारों कम्यूनिटी तालिबान के सख्त खिलाफ है। ये बेहतरीन लड़ाके भी हैं और भारत के समर्थक भी हैं। पश्तून का हाल भी ऐसा ही है। ऐसे में सत्ता हासिल करने के मकसद में अमेरिका उनकी मदद कर सकता है। ये मदद शुरुआत में सत्ता में भागीदारी से हो सकती है और बाद में अपने दम पर सरकार बनाने की भी हो सकती है।

भारत की प्रतिक्रिया

तालिबान को लेकर भारत की चिंताओं से दुनिया भलीभांति परिचित है। अमेरिका और तालिबान के बीच इस समझौते पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। और कहा था कि भारत, अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता के सभी अवसरों और प्रयासों का समर्थन करता है, जिनसे आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगना सुनिश्चित होता हो। और अफगानिस्तान का नजदीकी पड़ोसी होने के नाते भारत, भविष्य में भी ऐसे प्रयासों को अपना पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत के इस बयान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के दावे से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया दौरे से भारत को अपनी चिंताएं, अमेरिका से साझा करने का अवसर मिला था और अब दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ा है।

लेकिन, भारत को अब नई परिस्थितियों में अधिक दक्षता से अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले दो दशकों से भारत का सामरिक समुदाय पर्दे के पीछे से अमेरिका को अफगानिस्तान के मुद्दे पर सलाह-मशविरा देता आया है ताकि, अमेरिका को अफगानिस्तान में एक विश्वसनीय नीति बनाने में मदद मिल सके। लेकिन अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में, भारत को अधिक सक्रियता से अपनी स्वतंत्र नीति बनानी होगी।

यूएस सेना की वापसी से भारत पर क्या होगा असर

अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया का भारत एक अहम पक्षकार भले ही है, लेकिन इससे भारत का संकट कई गुना बढ़ने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि, अफगानिस्तान की जनता चाहती है कि भारत उनके देश में बड़ी भूमिका निभाए लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं। इस डील के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी शिविर अपने देश से हटाकर अफगानिस्तान भेज सकता है। साथ ही दुनिया को दिखा सकता है कि वह आतंकियों का पोषण नहीं कर रहा है। इसके अलावा तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में पूरी तरह से कब्जा करने के बाद कश्मीर की ओर रुख कर सकते हैं।

चुनौतियां

अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की राह में चुनौतियां और भी गंभीर होने वाली हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में दो राजनीतिक परिकल्पनाएं आमने-सामने हैं। एक तरफ तालिबान की इस्लामिक अमीरात है तो दूसरी तरफ एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान गणराज्य है, जो 2001 के हमलों के पश्चात तबाही के खंडहरों के बीच से उठा है। इन दोनों के बीच सहमति बन पाना मुश्किल है। आज भी अफगानिस्तान की जनता के मन में तालिबान के राज की बुरी यादें बसी हुई हैं। आम अफगानी नागरिक, खास तौर से महिलाओं को पिछले दो दशकों में काफी खुलापन और स्वतंत्रता हासिल हुई है। तालिबान की वापसी की सूरत में, उन्हें इसे गंवाने की फिक्र होगी। साथ ही उनके लिए तालिबान की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल होगा।

इसके अलावा यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तालिबान इस अवसर का उपयोग अपने सेनानियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए करेगा। जानकारों का मानना है कि, तालिबान निश्चित रूप से, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और अन्य चीजों के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता है, ऐसे में इस समझौते से वह सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा जो उसने अभी तक नहीं पाया है। साथ ही अफगान नागरिकों ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगान सरकार पर अपनी उम्मीदें बनाये रखी थी जो अब धूमिल नजर आती जा रही हैं।

तालिबान, के शासन को सख्त धार्मिक कानूनों के लिए जाना जाता है, वहाँ महिलाओं पर बंदिशें लगाने के साथ, स्कूलों को बंद करना और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने से परहेज नहीं किया जाता है जानकारों का मानना है कि, अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत में इस बात पर कोई वादा नहीं किया गया है कि क्या तालिबान नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगा या अफगान संविधान को स्वीकार करेगा। तालिबान को वह मिल गया जो वह चाहता था अर्थात् विदेशी सैनिकों की वापसी वो भी बिना किसी बड़ी रियायत के। अमेरिकी सैनिकों की वापसी काबुल सरकार को हमेशा के लिए कमजोर कर सकती है। इसके अलावा कमजोर सरकार को पुनरुत्थान करने वाले तालिबान से बात करनी होगी। इस प्रकार देखा जाय तो अफगान युद्ध से अमेरिका के बाहर निकलने की बेताबी ने, व्यावहारिक रूप से काबुल सरकार और लाखों अफगानों के भविष्य को अधर में छोड़ दिया है।

निष्कर्ष

अफगान सरकार का कहना है कि वह संघर्ष विराम के बिना वार्ता शुरू करने के लिए सहमत नहीं होगी। मगर संघर्ष विराम पर कोई वादा तालिबान द्वारा नहीं किया गया।

शांति समझौता मुख्य रूप से दो पक्षों अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान सरकार की इसमें जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसे अमेरिका ने नजरअंदाज कर नए संकट को जन्म दिया है। इस समझौते में अफगानिस्तान की सरकारी जेलों में बंद पांच हजार तालिबान कैदियों की रिहाई की बात कही गई है। यह एक ऐसा पेंच है जो शांति समझौते पर सवालिया निशान खड़ा करता है और समझौता खटाई में पड़ने का एकमात्र बड़ा कारण बनेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ शब्दों में न सिर्फ तालिबान कैदियों की रिहाई से मना कर दिया है, बल्कि सवाल उठाया है कि अमेरिका इसका फैसला कैसे कर सकता है, यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

दूसरी ओर तालिबान ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वह अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद नहीं करेगा। अफगान राष्ट्रपति का सख्त रूख और तालिबान का रवैया बता रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का टकराव और बढ़ेगा। ऐसी धमकियों और चेतावनियों से जानकारों का मानना है कि शांति समझौता अफगानिस्तान को नए संघर्ष में झोंकने का करार हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

02 भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी है। विदित हो कि इससे पहले 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिसंबर 2019 में RBI ने जब अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी तभी साफ कर दिया था कि इस तरह की किसी भी आभासी मुद्रा के चलन को भारत में मंजूरी नहीं दी जाएगी।

क्या है मामला

आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

क्रिप्टोकरेंसी: एक परिचय

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस करेंसी में कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। क्रिप्टोकरेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है।

दूसरे शब्दों में क्रिप्टोकरेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन है। बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद से कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च हो चुकी हैं। इस करेंसी को सरकार जारी नहीं करती है, इसलिए उसे रेगुलेट भी नहीं कर सकती है। भले ही इसके नाम में

करेंसी या क्वॉयन जुड़ा हो, लेकिन दुनिया के किसी भी केंद्रीय बैंक मसलन, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे जारी नहीं किया है।

वर्चुअल करेंसी न तो नोट है और न ही सिक्का। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। सरकार या किसी भी नियामक ने किसी भी एजेंसी, संस्था, कंपनी या बाजार मध्यस्थ को बिटक्वॉयन जारी करने का लाइसेंस नहीं दे रखा है।

बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग आजकल अधिक हो रहा है, जैसे- रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस्कोइन, वॉइस कॉइन और मोनरो। इनका विवरण निम्नलिखित है-

- **रेड कॉइन:** इसका उपयोग लोगों को टिप देने के लिए किया जाता है।
- **सिया कॉइन:** सिया कॉइन को एस सी से अंकित किया जाता है। यह कॉइन अच्छी ग्रोथ कर रही है। इस कॉइन की कीमत और भी अधिक बढ़ सकती है।
- **एसवाईएस कॉइन (सिस्कोइन):** यह क्रांतिकारी क्रिप्टोकरेंसी है जो जीरो लागत के वित्तीय लेनदेन और तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। व्यापार संपत्ति डिजिटल प्रमाणपत्र डाटा को सुरक्षित रूप से व्यापार करने के लिए बुनियादी ढांचे को व्यवसाय प्रदान करता है। सिस्कोइन ब्लॉकचेन पर कार्य करता है जो बिटकॉइन का ही एक हिस्सा है।
- **वॉइस कॉइन:** यह उभरते हुये संगीतकारों के लिए तैयार किया गया एक ऐसा मंच है जहां गायक अपने संगीत का स्वयं मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। वे मुफ्त में संगीत का सैंपल ट्रैक प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, मंच पर संगीत उत्साही और उपयोगकर्ताओं से समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र कलाकारों का मुद्रीकरण करना है।
- **मोनेरो:** यह भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें विशेष प्रकार की सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। इसे रिंग सिग्नेचर नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग डार्क वेब और ब्लॉक मार्केट में बहुत अधिक होता है। इसकी सहायता से स्मगलिंग की जाती है। इस करेंसी से कालाबाजारी आसानी से की जा सकती है।

पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम क्रिप्टोकरेंसी की शुरूआत 2009 में हुई थी जो बिटकाईन थी। इसको जापान के संतोषी नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे-धीरे इसके रेट आसमान छूने लगे, जिससे यह सफल हो गई। विदित हो कि 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1600 प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मौजूद है, जो पियर टू पियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है।

केंद्र सरकार जुलाई 2019 में संसद में विधेयक लाई थी, जिसमें तय हुआ था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटक्वासइन को रखने, बेचने या खरीदने पर 10 साल की जेल हो सकती है. इसे पूरी तरह से अवैध बनाने के अतिरिक्त विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी रखने को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है।

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 (Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2019) के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी की

खरीद-बिक्री करने वालों को सजा का प्रावधान था। ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी जद में वे सभी लोग आएंगे जो क्रिप्टोकरेंसी तैयार करेगा, उसे बेचेगा, क्रिप्टोकरेंगी रखेगा, किसी को भेजेगा या क्रिप्टोकरेंसी में किसी प्रकार की डील करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी से लाभ

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है।
- अधिक पैसा होने पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना फायदेमंद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। लिहाजा, निवेश के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
- अधिकतर क्रिप्टोकरेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन-देन सरल हो चुका है।
- क्रिप्टोकरेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसा खतरा किसी के सामने नहीं आता।
- क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से सुरक्षित है। सिर्फ उसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। लिहाजा, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है।

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले नुकसान

- क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। ना तो इस करेंसी के नोट छापे जा सकते हैं और न ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जा सकती है।
- इसको नियंत्रित करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है जिससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा है।
- इसका उपयोग गलत कामों के लिए जैसे हथियार की खरीद-फरोख्त, ड्रग्स सप्लाई, कालाबाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच ही किया जाता है। लिहाजा, यह काफी खतरनाक भी हो सकता है।
- साथ ही इसको हैक करने का भी खतरा बना रहता है।
- इसका एक और नुकसान यह है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं जिससे आपको घाटा होता है।
- बिटकॉइन के जरिए लेन-देन करने वालों को लीगल और फाइनेंशियल रिस्क उठाना पड़ता है। दरअसल, इस करेंसी को लेकर उठने वाली समस्याओं को हल करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिटकॉइन का इस्तेमाल गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशें

- सभी क्रिप्टोकरेंसी का ईजाद गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया है और इस अर्थ में ये सभी पूरी तरह से निजी उद्यम हैं।
- इन क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित आंतरिक मूल्य नहीं है, उनके पास करेंसी की समस्त विशेषताओं का अभाव है।
- इन निजी क्रिप्टोकरेंसी का कोई एक तय मूल्य नहीं है यानी न तो मूल्य के किसी भी स्टोर के रूप में कार्य कर सकते हैं और न ही वे विनिमय का एक माध्यम है।
- अपनी शुरूआत के बाद से, क्रिप्टोकरेंसी ने अपनी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन किया है।
- ये क्रिप्टोकरेंसी करेंसी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। निजी क्रिप्टोकरेंसी पैसे या करेंसी के अनिवार्य कार्यों से मेल नहीं खाती, इसलिए निजी क्रिप्टोकरेंसी मौलिक करेंसी की जगह नहीं ले सकती।
- वैश्विक स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि इन्हें किसी भी न्यायाधिकार क्षेत्र में कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- सभी एक्सचेंजों, लोगों, व्यापारियों और अन्य वित्तीय प्रणाली प्रतिभागियों को क्रिप्टोकरेंसी से निपटने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित किसी तरह की गतिविधि में शामिल होने पर 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया जाय।
- निजी क्रिप्टोकरेंसी को गैर कानूनी घोषित करने और इससे जुड़ी गतिविधियों को आपराधिक कार्रवाई घोषित करने की सिफारिश की गई है।
- एक सरकारी डिजिटल करेंसी की शुरूआत करने और इसे आरबीआई के रेगुलेशन में चलाकर कानूनी दर्जा देने की सिफारिश किया गया है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नियमन

क्रिप्टो निवेशकों के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक की तरफ से किया गया इंतजार खत्म हो गया है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाय तो मलेशिया, फिलीपींस और बहरीन जैसे देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को अपनाया है और बाजार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस को औपचारिक रूप दिया है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग (एसटीओ) जारी करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों को वैध कर दिया गया है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारतीय उद्यमी अपने नवाचारों का उपयोग करने के लिए क्रिप्टोफ्रेंडली देशों में अपना आधार स्थानांतरित कर रहे हैं।

भारत में क्रिप्टो निवेशकों के लिए स्थिति और भी खराब है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो एक्सचेंजों को सेवाएं प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है, इसलिए लगभग सभी प्रमुख रुपये बनाम क्रिप्टो एक्सचेंज सेवा प्रदाताओं ने अपने परिचालन को बंद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फाइनेंसिंग तक, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिम सरकार और आरबीआई की प्रमुख चिंताएं हैं, लेकिन अगर प्रमुख एक्सचेंजों की हैकिंग को अलग कर लिया जाए, तब भी मौजूदा कैश करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी बाजार पर हावी है। इसके अलावा भारत सरकार भी चिंतित है कि यदि बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं को भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है, तो क्या यह फिएट मुद्रा(भारतीय रुपये) को अस्थिर कर सकती है।

निष्कर्ष

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है। भारत एक तेज गति से

विकास करने वाला देश है, इसलिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक बनाने तथा तीव्र विकास के लिए क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन में होना आवश्यक है। यही नहीं जब देश कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देता है तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कई भी नई तकनीकी जो वैश्विक स्तर पर प्रचलित व सुरक्षित हो उसे अपनाया जाय।

हालांकि कोई विशेषज्ञों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर सवाल उठाये हैं। अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं यह करेंसी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित न हो, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अनिश्चितता बहुत अधिक है, साथ ही इसके दुरुपयोग की संभावनायें भी ज्यादा है। ऐसे में सरकार को इसके नियमन और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। यही नहीं इसके इस्तेमाल को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी होगी जिससे कि किसी भी नागरिक का पैसा असुरक्षित न हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

03 भारत में मनी लॉन्ड्रिंग: चुनौतियाँ एवं समाधान

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (जीएफआई) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार के जरिये काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत में व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के जरिए अनुमानित 83.5 अरब डॉलर की राशि पर टैक्स चोरी की जाती है।
- गैर कानूनी तरीके से धन के प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में भ्रष्टाचार, वाणिज्यिक कर की चोरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध आते हैं।
- जीएफआई की रिपोर्ट 135 विकाशील देशों में व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह के आधार पर तैयार की गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है।
- उसके बाद मेक्सिको (85.3 अरब डॉलर), भारत (83.5 अरब डॉलर), रूस (74.8 अरब डॉलर) और पोलैंड (66.3 अरब डॉलर) का नंबर आता है।
- रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाला समूह मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीक के जरिए नॉर्कोटिक्स की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कारों की खरीद में करता है और फिर उन कारों को ड्रग के स्रोत देश में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार गैरकानूनी तरीके से वित्तीय प्रवाह संपन्न होता है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है

मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गये काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसिया भी धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पाती हैं। जो व्यक्ति धन की हेरा-फेरी करता है उसको 'लाउन्डरर' (Launderer) कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है।

'मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। अमेरिका में माफिया अन्य लोगों से जबरन वसूली करते थे और अवैध तरीके से जुआ, स्मगलिंग आदि से बहुत अधिक मात्रा में धन को एकत्रित करते थे। इसके बाद वह धन वैध तरीके से सरकार के सामने पेश करते थे।

विदित हो कि 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध धन को बहुत ही बड़े स्तर में वैध रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। इस प्रकार के धन के लिए अमेरिकी सीनेट में 'मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द का प्रयोग किया गया और तभी से मनी लॉन्ड्रिंग शब्द प्रचलित हो गया है।

भारत में भी अवैध धन को वैध बनाने का कार्य चोरी-छुपे होता रहता था। लेकिन 1990 के दशक में 'मनी लॉन्ड्रिंग' को हवाला लेन-देन शब्द के रूप में जाना गया। इस समय भारत में कई बड़े नेताओं के नाम हवाला लेन-देन में सामने आये जिससे मनी लॉन्ड्रिंग शब्द भारत में भी प्रचलित हो गया।

मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके

- **हीरे के आभूषण में:** भारत में सोने, चाँदी और हीरे के आभूषण निवेश के मकसद से खरीदे जाते रहे हैं। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे स्विस बैंक अकसर अपने ग्राहकों को हीरों में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि इन्हें पैसे की तुलना में आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हवाई अड्डों पर कई बार टूथपेस्ट की ट्यूब में हीरे छिपा कर तस्करी की जाती है।
- **टैक्स हेवन:** टैक्स हेवन देशों में करों की दर बहुत ही कम होती है। किसी के भी नाम पर एक नई कंपनी खोल दी जाती है और काला धन उसमें ट्राँसफर कर दिया जाता है। कंपनी का सक्रिय होना जरूरी नहीं है, बस एक नाम चाहिए, एक पता और बैंक अकाउंट। वर्तमान में टैक्स हेवन देशों के कई उदाहरण मौजूद हैं, यथा-पनामा, हांगकांग आदि।
- **कसीनो:** कसीनो में मनी लॉन्डरिंग के लिए

एक ट्रिक है। उदाहरण स्वरूप चीन में एक बार में 20,000 युआन से अधिक देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में लोग जुआ खेलने के मकसद से जंकेट को पैसा ट्रांसफर करते हैं। जंकेट इसे कसीनो के सिक्कों में तब्दील कर देता है। जुए में जीती गई राशि भी इन सिक्कों के रूप में ही मिलती है, जिसे आसानी से हांगकांग ले जा कर डॉलर में परिवर्तित कराया जा सकता है।

प्रभाव

मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होता है। इससे उत्पन्न चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी करता है। इसकी सफलता अपराधियों को अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दरअसल इससे देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- मनी लॉन्ड्रिंग से समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भ्रष्ट आचरण से प्राप्त धन के वैध हो जाने की संभावना होती है।
- विदेशी निवेश के संदर्भ में राउण्ड ट्रिपिंग की संभावना बढ़ जाती है अर्थात् काले धन को विदेशों में अर्जित करके वापस निवेश हेतु लाना सहज हो जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
- हवाला कारोबार को प्रोत्साहन मिलता है।
- अवैध स्रोतों से प्राप्त धन के वैध होने पर उपभोगवादी संस्कृति को व्यापक समर्थन मिलता है। नतीजतन संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- इसके अतिरिक्त वैध लघु व्यापारी मनी लॉड्रिंग करने वाले अग्रणी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने उत्पादों को कम दाम पर बाजार में नहीं बेच पाते हैं।
- यह व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह को प्रभावित करता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग अपने घरेलू वित्तीय संस्थानों में स्थानीय नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करता है।
- यह मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को बढ़ाकर समाज की नैतिक और सामाजिक स्थिति को घटाता है।
- यह राजनीतिक अविश्वास और अस्थिरता की शुरूआत करता है।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की वर्तमान स्थिति

- वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (कालेधन को सफेद करना) भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। आए दिन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। इसी संदर्भ में पीएनबी स्कैम, संदेसरा ब्रदर्स स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और 2 जी स्कैम काफी चर्चा में रहे। भारतीय संसद ने वित्तीय अपराधों को रोकने और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है।
- इस कानून के तहत वित्तीय अपराध करने वाले को तीन साल से सात साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अगर वित्तीय अपराध कोई कंपनी या फर्म करती है, तो उसके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि कई बार शेल कंपनी बनाकर वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है और काले धन को सफेद किया जाता है। साथ ही टैक्स चोरी की जाती है।
- बता दें कि शेल कंपनियाँ वो होती हैं, जो सिर्फ कागजों में होती हैं। हालांकि इनका वास्तव में धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीन लाख से ज्यादा शेल कंपनियों में ताला लगाया है। इसके अलावा तस्करी, वेश्यावृत्ति, हथियारों की खरीद-फरोख्त, गबन, शेयरों की गैर कानूनी तरीके से खरीद-फरोख्त, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर के जरिए धोखा करके धन अर्जित करना भी वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।
- वित्तीय अपराधों की जांच पड़ताल का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिया गया है। ऐसे अपराधों के ट्रायल के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से केंद्र सरकार वित्तीय अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करती है।

भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए कानून

- भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 (Prevention of money laundering act) में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया जा चुका है।
- पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना (Concealment), अधिग्रहण (Acquisition), कब्जा (Possession) और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग (use of proceeds of crime) इत्यादि को शामिल किया है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज और अन्य कारोबार से जुड़े वित्तीय अपराध आते हैं। बैंकिंग कंपनी में प्राइवेट बैंक, राष्ट्रीय बैंक, विदेशी बैंक, कॉपरेटिव बैंक, स्टेट कॉपरेटिव बैंक, एसबीआई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं।
- वहीं, वित्तीय संस्थानों में चिट फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियाँ, हायर पर्चेज कंपनियाँ और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ आती हैं। इसके अलावा सिक्युरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डिपॉजिटरी एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्युचुअल फंड कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, इनवेस्टमेंट एडवाइजर, बैंकर और शेल कंपनियाँ आती हैं।
- PMLA, 2002 में आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को पीएमएलए के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015- यह अधिनियम काले धन का निषेध करेगा। इसके अंतर्गत अप्रकटित आय अथवा

संपत्ति पर 300 प्रतिशत दंड लगाने का प्रावधान है।

- भारत, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का पूर्णकालिक सदस्य है जो आतंकियों को वित्तीय सहायता रोकने और धनशोधन के विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग देता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हाल ही में राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित (Inter-Ministerial Co-ordination Committee-IMCC) की है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति का काम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना होगा।
- समिति का काम सरकार और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच सिर्फ समन्वय बनाना नहीं होगा, बल्कि समिति मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के लिए वित्तपोषण को रोकने से जुड़ी नीतियों के विकास और लागू करने का भी काम करेगी।
- विदित हो कि स्विस बैंक (Swiss Bank) में काले धन (Black Money) को लेकर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड ने भारतीय नागरिकों के खाते के बारे में जानकारियों की पहली खेप केंद्र सरकार को सौंप दी है। दोनों देशों के बीच हुए ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क (AEOI) के तहत यह संभव हो सका है।
- स्विट्जरलैंड के बैंकों द्वारा भारतीय नागरिकों की खाते संबंधी जानकारियों को भारत के साथ साझा करना देश में काले धन से लड़ाई को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि भारत उन 75 देशों की लिस्ट में शामिल है जिनसे स्विट्जरलैंड फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA), ग्लोबल फ्रेमवर्क (AEOI) के आधार पर खाता संबंधी वित्तीय जानकारी साझा कर रहा है।

आगे की राह

- देश में कर संबंधी कानूनों में एकरसता, सरलता एवं साम्य स्थापित किया जाए।
- मनी-लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी होती है जिसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए।
- मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। यदि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला इत्यादि के मामले में अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र सजा मिले, तो इस तरह के अपराध कम हो जायेंगे। मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक पारदर्शी प्रशासन निभा सकता है। इसके लिए सरकार को मौजूदा संस्थानों को सशक्त बनाना चाहिए।
- एंटी मनी लॉन्ड्रिग कानून को मजबूत बनाना चाहिए। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया होती है। भारत में हाल ही में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 को सशक्त बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है साथ ही ज्यादा संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया है जो एक सराहनीय कार्य है।
- सरकार को चाहिए कि जो टैक्स हैवेन देश हैं उनके साथ व्यापक समझौता करे और उस समझौते का कठोरतापूर्वक पालन किया जाये जिससे कि अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसा जा सके।
- अंततः यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी है जिसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाना है। इसके अलावा मौजूदा कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा इसमें लिप्त लोगों को कड़ी सजा देनी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

04 ईज 3.0 रिपोर्टः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्मार्ट एवं तकनीक आधारित बैंक सेवाएं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सुधार एजेंडा 2020-21 को लेकर 'ईज 3.0' और पीएसबी ईज सुधार वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जारी की।

परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) भारतीय बैंकिंग उद्योग के आधार स्तंभ हैं। PSBs और PSBs प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की भारतीय बाजारों में पकड़ मजबूत है। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक नेटवर्क का लगभग 78 प्रतिशत है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सा 87 प्रतिशत से भी अधिक है। PSBs देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निवेश में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। ज्ञातव्य है कि एससीबी की 70 प्रतिशत से अधिक जमाराशि तथा कुल साख का 66 प्रतिशत हिस्सा PSB का ही है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी (RUSU) क्षेत्रों में PSB का योगदान तो और भी अधिक है। जिसमें बचत खाता जमा का 88 प्रतिशत तथा कुल शाख का 81 प्रतिशत से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि PSBs और

RRBs प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें लघु और सीमांत किसानों को उपलब्ध कुल शाख का 74 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्योगों का 65 प्रतिशत तथा शिक्षा ऋण का 95 प्रतिशत हिस्सेदारी इन्हीं बैंकों की है। विदित है कि PSBs दीर्घ अवधि के ऋण (5 वर्ष से अधिक अवधि) उपलब्ध कराने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कुल शाखा का 73 प्रतिशत है। हालांकि PSBs ने विगत कुछ वर्षों में सुधारात्मक रवैये को अपनाया है फिर भी वर्तमान समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक संरचनात्मक उपाय करने होंगे ताकि ग्राहकों के प्रति PSBs और अधिक उत्तरदायी हो सकें।

'ईज 3.0' रिपोर्ट क्या है?

EASE प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सुधारों का एक सेट है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीकी का सक्षम और स्मार्ट बनाना, प्रौद्योगिकी सुधार के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, व्यापक वित्तीय समावेशन, बेहतर बैंकिंग अनुभव, आसान ऋण वितरण सुनिश्चित करना, तथा ग्राहकों के लिए बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा घर के दरवाजे पर ऋण सुविधा देने के लिए डायल-ए-लोन, पूर्ण डिजिटलीकृत उधारी के लिए क्रेडिट/क्लिक, लोगों के पसंदीदा स्थानों जैसे कि मॉल एवं स्टेशनों पर ऑन-द-स्पॉट ईज बैंकिंग आउटलेट, पाम बैंकिंग, डिजिटलीकृत शाखा जैसे अनुभव, एनालिटिक्स-आधारित इंस्टैंट क्रेडिट ऑफर, कैश-फ्लो-आधारित क्रेडिट और तकनीक आधारित कृषि ऋण आदि उपलब्ध कराना है।

मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक की प्रमुख उपलब्धियां

- ऋण आवेदन के बाद मंजूरी में लगने वाला समय औसतन लगभग 30 दिनों से 67 प्रतिशत घटकर तकरीबन 10 दिन रह गया है।
- पीएसबी के 80% ग्राहकों को अब मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग पर 35+ सेवाएं और कॉल सेंटर पर 23 सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले 18 महीनों में सेवाओं की उपलब्धता लगभग दोगुनी हो गई है।
- कॉल-सेंटरों में क्षेत्रीय भाषाओं की उपलब्धता में सुधार चार गुना बढ़ गया है।
- शिकायत निवारण समय औसतन 9 दिन से घटकर 6 दिन रह गया है।
- बैंक मित्रों के माध्यम से पीएसबी द्वारा 20 शाखा-समतुल्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
- psbloansin59 minutes.com के माध्यम से वितरित ऋणों के तिमाही मूल्य में वार्षिक आधार पर 40% की वृद्धि।

भविष्य में बैंकिंग रोड मैप

- भारतीय बैंक शाखा द्वारा दिल्ली में आयोजित लॉन्चिंग समारोह में विभिन्न पीएसबी ने उन तकनीक-आधारित सेवाओं का पूर्वावलोकन पेश किया, जिन पर या तो काम चल रहा है या जो प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दी गई हैं और जिन्हें आने वाले वर्ष में पीएसबी में बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा।
- यूको बैंक ने ग्राहकों के लिए एप, पोर्टल या कॉल सेंटर के माध्यम से सेवाएं पाने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
- देश भर के प्रमुख शहरों में चेक एवं आयकर छूट प्रमाणपत्र उठाने और आयकर चालान, ड्राफ्ट एवं अकाउंट स्टेटमेंट की डिलीवरी करने जैसी सेवाओं के लिए पीएसबी द्वारा सामूहिक रूप से 'पीएसबी एलायंस' के रूप में पेशकश की गई डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं इसमें शामिल हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मौजूदा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी की तत्काल मंजूरी के लिए शिशु ई-मुद्रा एप आधारित ऋण सुविधा को प्रदर्शित किया और इसके साथ ही बैंक ने शाखा-सहायता मोड में एप के माध्यम से ऋण मंजूरी को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की अपनी योजना की घोषणा की।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को 50 करोड़ रुपये तक का पूर्ण डिजिटलीकृत ऋण देने के लिए अपने एप का पूर्वावलोकन पेश किया जिसे आने वाले वर्ष में लॉन्च करने का प्रस्ताव है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने गांवों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूरों के लिए घर-घर खाता खोलने में सक्षम अपनी टैबलेट आधारित टैब बैंकिंग सेवाओं को प्रदर्शित किया और इसने प्रति दिन लगभग 10,000 खाते खोलने की क्षमता सुनिश्चित कर ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में एनबीएफसी के साथ साझेदारी में अनौपचारिक उद्यमों के लिए अपने टैब आधारित डोरस्टेप ऋण आवेदन, संवितरण और संग्रह का भी पूर्वावलोकन पेश किया।
- सिंडिकेट बैंक ने महिला उद्यमियों की माइक्रो एटीएम और टैबलेट आधारित डोरस्टेप माइक्रो-फाइनेंसिंग पेश की।
- भारतीय स्टेट बैंक ने भी एप-आधारित योनो कृषि के रूप में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन कृषि परितंत्र प्रस्तुत किया जिससे कृषि स्वर्ण ऋण सहित कर्ज देना, कृषि संबंधी कच्चे माल का आकलन एवं खरीद, और कृषि कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी पाना संभव है। बैंक ने बहुउद्देशीय बीमा कवर के साथ पूर्व-अनुमोदित कृषि ऋण के लिए 'सफल' की शुरुआत करने की अपनी योजना की भी घोषणा की।

बैंकों में सुधार के लिए तय हुई 6 थीम:

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को बड़े स्तर पर 6 थीम तय किए गए हैं जिनमें-

- रेस्पॉन्सिव बैंकिंग,
- कस्टमर फीडबैक,
- उद्यमी मित्र के तौर पर बैंक,
- क्रेडिट टेक ऑफ और
- हर किसी की वित्तीय भागीदारी।
- Dial-a- loan और credit at a click जैसी सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है।

ईज 3.0 से लाभ

ईज 3.0 से निम्नलिखित लाभ होंगे-

- ग्राहकों को EASE 3.0 रिफॉर्म के जरिए पाम बैंकिंग की सुविधा मिलेगी।
- पाम बैंकिंग के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड-टू-एंड डिजिटल डिलिवरी होगी।
- इसके अलावा 'Banking on Go' की सुविधा लॉन्च की जाएगी।
- इसके जरिये मॉल्स, स्टेशन, कॉम्प्लेक्स और शैक्षणिक एवं अन्य परिसरों में ही बैंकिंग आउटलेट्स खुलेंगे।
- इसके जरिए दरअसल वित्त मंत्रालय की यह योजना है कि लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने से बचाया जा सके और वहीं पर

सुविधाएं दी जाएं, जहां वे अकसर जाते हैं।

- यही नहीं इन सुविधाओं को भी डिजिटली मुहैया कराया जाए ताकि मौके पर दस्तावेजों की जरूरत न रहे।

पीएसबी ईज सुधार यात्रा

पीएसबी सुधार 'ईज' एजेंडा दरअसल पीएसबी के लिए एक आम सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम के अगले संस्करण 'ईज 2.0' को 'ईज 1.0' में रखी गई नींव पर बनाया गया और इसने सुधारों को आगे बढ़ाया।

एनपीए जैसी गंभीर समस्या से निपटने के बाद पीएसबी अच्छी वित्तीय सेहत के साथ फिर से लाभ कमाने की स्थिति में आ गए हैं और इसके साथ ही इन बैंकों ने पिछली कमजोरियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित प्रणालियों को संस्थागत रूप दिया। पीएसबी की बेहतर वित्तीय सेहत निम्नलिखित मापदंडों में परिलक्षित होती है-

- सकल एनपीए मार्च, 2018 के 8.96 लाख करोड़ रुपये (14.6%) से घटकर दिसंबर, 2019 में 7.17 लाख करोड़ रुपये (11.3%) के स्तर पर आ गया।
- धोखाधड़ी से जुड़ी घटनाएं वित्त वर्ष 2010-एवं वित्त वर्ष 2014 के दौरान कुल अग्रिम के 0.65% से काफी घटकर वित्त वर्ष 2018-वित्त एवं वर्ष 2020 के दौरान कुल अग्रिम के 0.20% के स्तर पर आ गईं। यह धोखाधड़ी की रोकथाम से जुड़े सुधारों और एनपीए पर अंकुश लगाने की बदौलत संभव हुआ।
- वित्त वर्ष 2019-वित्त-वर्ष 2020 के 9 महीनों के दौरान 2.04 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी हुई जो पीएसबी में नव-स्थापित विशिष्ट एनपीए खाता प्रबंधन व्यवस्था से संभव हुई। पीएसबी ने इसी अवधि में 1.21 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है।
- पीसीए के तहत लाए गए पीएसबी की संख्या घटकर 4 रह गई।
- वित्त वर्ष 2020 के 9 महीनों के दौरान 12 पीएसबी ने मुनाफा कमाने की जानकारी दी।
- सीआरएआर नियामकीय न्यूनतम स्तर से 3.40 प्रतिशत अधिक।
- लगभग आठ वर्षों में 77.5% का उच्चतम प्रावधान कवरेज अनुपात।
- ईज 3.0 आकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट, तकनीक-आधारित बैंकिंग
- पिछले पांच वर्षों में पीएसबी ने न केवल विरासत में मिले एनपीए से निपट लिया है और अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों को दूर कर दिया है, बल्कि वे व्यापक एवं संस्थागत 'ईज' सुधारों के परिणामस्वरूप और मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं।
- 'ईज 3.0' ने आकांक्षी भारत के लिए भविष्य में डिजिटल और डेटा-संचालित अगली पीढ़ी की बैंकिंग करने में समर्थ बैंकों के रूप में उनके बदलाव के लिए वित्त वर्ष 2021 के एजेंडे और रोडमैप को निर्धारित किया है।

'ईज 3.0' में सुधार से जुड़े उपाय

- डायल-ए-लोन: यह खुदरा या छोटे और एमएसएमई ऋणों की शुरूआत करने के लिए डिजिटल आधारित डोरस्टेप सुविधा है। ग्राहकों को डिजिटल आधारित चैनलों के माध्यम से अपने ऋण अनुरोधों को पंजीकृत करने की सुविधा होगी।
- एनालिटिक्स के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों के लिए बड़े पीएसबी की ओर से ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित ऋण संबंधी पेशकश। उदाहरण के लिए, छुट्टियों/स्कूल-फीस/आभूषण/टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे खर्चों पर ईएमआई सुविधा, होम लोन का अधिग्रहण, होम लोन बंद हो जाने के बाद प्रॉपर्टी के एवज में लोन, बिक्री में हुई बढ़ोतरी के आधार पर कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना।
- ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित ऋण संबंधी पेशकश के लिए फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी।
- क्रेडिट/क्लिक: बड़े पीएसबी की ओर से खुदरा या छोटे ग्राहकों और एमएसएमई को पूर्णतः डिजिटलीकृत एवं समयबद्ध तरीके से ऋण मिलेगा जिसके लिए एकाउंट एग्रीगेटर्स, फिनटेक और PSBloansin 59 minutes.com उपयोग किया जा सकेगा।
- बड़े पीएसबी की ओर से एमएसएमई को कैश-फ्लो-आधारित ऋण मिलेगा जिसके लिए फिनटेक, एकाउंट एग्रीगेटर और अन्य थर्ड-पार्टी डेटा तथा लेनदेन-आधारित अंडरराइटिंग मॉडलों का उपयोग किया जाएगा।
- तकनीक आधारित कृषि ऋण
- पाम बैंकिंग: इस उद्योग की श्रेष्ठ सेवा गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में समस्त वित्तीय सेवाएं पूर्ण डिजिटलीकृत तरीके से उपलब्धा कराई जाएंगी।
- 'ईज' बैंकिंग आउटलेट्स: पेपरलेस और डिजिटल आधारित बैंकिंग आउटलेट्स एवं कियोस्क के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट बैंकिंग सुविधा रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मॉल एवं अस्पतालों जैसे स्थानों पर दी जाएगी जहाँ लोग अकसर जाते हैं।

चुनौतियाँ

- हाल के कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र में कई व्यावसायिक संस्थाओं की असफलता और उनकी वित्तीय गड़बड़ियों के कारण आर्थिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिली है। इसके साथ ही ज्यादातर बैंकों ने सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए ऋण वितरण में कमी की है।
- परिवहन और कई व्यावसायिक क्षेत्रों में दबाव तथा बाजार में मंदी जैसी स्थितियों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों जैसे-घर,कार आदि की खरीद पर भी देखने को मिला है। ऐसे में मांग (Demand) में गिरावट भी ऋण वितरण की कमी का एक कारण बना है।
- हाल के वर्षों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में काम का भार और ग्राहकों की बढ़ती संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की कमी का प्रभाव बैंक-ग्राहक संबंधों पर भी देखने को मिला है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक क्षेत्र में कई परिवर्तनों (आधार, नोटबंदी आदि) के दबाव के कारण भी बैंक-ग्राहक संबंधों में तनाव की वृद्धि हुई है।
- ऋण और अनुदान से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता की कमी तथा ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनदेखी ऋण वितरण की दर में कमी के कुछ कारणों में से एक है।

आगे की राह

- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान समय में लगभग सभी बैंकों की एक शाखा में कर्मचारियों की औसतन संख्या 7 है। ऐसे में सामान्य दैनिक कार्य के अलावा सरकारी योजनाओं (मुद्रा योजना, जनधन योजना आदि) के सफल कार्यान्वयन के साथ ऋण वितरण करना बैंकों के लिये एक चुनौती

है। अतः बैंकों को आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये, जिससे बैंकों के दैनिक कार्यों के साथ-साथ बैंक-ग्राहक संबंधों को भी बेहतर बनाया जा सके।

- शाखा स्तर पर बैंक-ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने में स्थानीय भाषा का बड़ा योगदान हो सकता है। बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से निवेश अथवा ऋण द्वारा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिये शाखा स्तर पर स्थानीय भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को बढ़ाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- इसके साथ ही ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप ऋण या बैंकिंग से संबंधित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, ई-व्यापार, शिक्षा व उद्यम के नए क्षेत्रों) के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- सरकार की योजनाओं के संदर्भ में बैंक और ग्राहक के बीच समन्वय में वृद्धि की जानी चाहिये।
- विशेषज्ञों के अनुसार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से शाखा आधारित बैंकिंग के माध्यम से अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहिए इसके साथ ही केवल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर ही बहुत अधिक निर्भर न रहने की आवश्यकता है।
- बैंकों को प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपने ग्राहकों से जुड़ने की जरूरत है, लेकिन यह जुड़ाव केवल तकनीक के जरिए ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए अन्य माध्यमों को भी

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

05 पूर्वी घाट के संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता

चर्चा का कारण

ग्रीन स्लायंस फॉर कन्जर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट (GrACE) और काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन (CGR) दोनों ने माँग की है कि पूर्वी घाट के सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया जाना चाहिए।

पूर्वी घाट: एक परिचय

यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारों पर स्थित है। यह ओडिशा के उत्तर-पूर्वी भाग में महानदी की घाटी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानान्तर चलता हुआ नीलगिरि की पहाड़ियों तक पहुँचता है। इसकी चौड़ाई उत्तर में 200 किमी. तथा दक्षिण की ओर 100 कि.मी. है। इसकी औसत ऊँचाई पश्चिमी घाट से कम है। पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएँ ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुयी हैं जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हैं। इसकी सबसे ऊँची चोटी का नाम महेन्द्रगिरी है। महानदी, गोदावरी,कृष्णा तथा कावेरी नदियों ने इसको काटकर अपने मार्ग बना लिए हैं। इसको विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इनमें नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी और शेवराय प्रमुख हैं। पूर्वी तट कम कटा-फटा

है जिसके कारण यहाँ बंदरगाह कम हैं।

इस घाट में 1200 मि.मी. से लेकर 1500 मि.मी. तक वर्षा होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं।

पूर्वी घाट-पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- ग्रीन एलायंस फॉर कन्जर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट (GrACE) और काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन (CGR) दोनों ने अपनी रिपोर्ट (पूर्वी घाट-पर्यावरण आउटलुक) में कहा है कि केन्द्र सरकार पूर्वी घाट पर राज्यों की एक क्षेत्रीय समन्वय समिति बनाए, जो पूर्वी घाट से संबंधित गतिविधियों में समन्वय के लिए कार्य करे।
- रिपोर्ट में पूर्वी घाट के लिए एक 'प्रकृति लोकपाल' (Nature Ombudsman) की नियुक्ति और एक पर्यावरणीय एटलस के प्रकाशन (जिसमें पूर्वी घाट की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विरासत की जानकारी शामिल हो) की माँग की गयी है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी घाटों का क्षरण एक सदी पहले ही शुरू हो गया था और इसमें 1970 के दशक से काफी तेजी आयी, जिसके कारण पूर्वी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र ने अपनी प्राकृतिक प्रजातियों की संरचना, वन संरचना, आकार, पैमाने और चरित्र को खो दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के लिए खतरों और चुनौतियों के कारण स्थिति गंभीर है, तथा पूर्वी घाट का जैव-भौगोलिक महत्व तेजी से घट रहा है।
- सभी स्थानीय सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि पूर्वी घाट का संरक्षण और जैव-विविधता का पुनर्जनन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में हो।
- इस क्षेत्र में कई वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल भंडार और रामसर स्थल स्थित हैं। हालाँकि पूर्वी घाट के जंगल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन फिर भी इसके संरक्षण पर आवश्यकता से कम ध्यान दिया गया है।

पूर्वी घाट का महत्त्व

- यह घाट जैव-विविधता को बढ़ावा देता है साथ ही पेड़ों में ऊर्जा का भंडारण करता है। इन पहाड़ों में लगभग 3,000 वनस्पतियों की प्रजातियों का भण्डार मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 100 प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जो शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्द्ध-सदाबहार परिदृश्य में पायी जाती हैं।
- बाघ और हाथी सहित कई जानवर और लगभग 400 वर्षा प्रजातियाँ इन वनों से लगे हुए जंगालों में पायी जाती हैं। यह लाखों लोगों को पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह मानसून (उत्तर-पूर्वी मानसून) के पीछे हटने के दौरान जलवायु संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी घाट चारनोकाइट्स (Charnockites), ग्रेनाइट गिनीस (Rranite Gneiss), खोंडालिट (Khondality), मेटामॉर्फिक गिनीस (Metamorphic Gneiss) और क्वार्टजाइट रॉक (Quartzite Rock) आदि से बना है, इसलिए इन पहाड़ी शृंखलाओं में चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क आदि बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।

पूर्वी घाट के संरक्षण के लिए सांसदों के सत्र की आवश्यकता

- यह उन पाँच राज्यों के ऊपर निर्भर है, जिनमें पूर्वी घाट का क्षेत्र फैला हुआ है कि वो इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रयास करें क्योंकि यह क्षेत्र लगभग 60 स्वदेशी समुदायों से संबंधित 5 मिलियन आदिवासी लोगों का निवास स्थान है। इसीलिए पाँच राज्यों के संसद सदस्यों के लिए एक सत्र की योजना बनाई जाए ताकि उन्हें स्थिति की गंभीरता और घाटों की रक्षा के बारे में शिक्षित किया जा सके जिससे कि वह पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को लाने का प्रयास करें। पूर्वी घाट की जनजातियाँ सरकारों, कॉर्पोरेट और उग्रवादियों के बीच परस्पर विरोधी हितों में जकड़ी हुई हैं। जनजातियों की जमीनें मानव तस्करी सहित जहरीले कचरे की डम्पिंग, अवैध खनन और अवैध शिकार का स्थल बन गयी हैं।

पूर्वी घाट को जलवायु-परिवर्तन से खतरा एवं अन्य चुनौतियाँ

- जलवायु और भूमि उपयोग परिवर्तन से भविष्य में पूर्वी घाट में पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र के संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसने पिछले 100 वर्षों की अवधि में लगभग 16 प्रतिशत वन कवर क्षेत्र खो दिया है।
- वार्षिक औसत तापमान में गिरावट और कम वर्षा से इन वनों की कार्बन को संग्रहित करने और निर्वाह सामग्री प्रदान करने की क्षमता में कमी आयी है। 'एन्वायरमेंटल मॉनीटरिंग एंड असेसमेंट', नामक जर्नल में छपे एक शोध के अनुसार, पूर्वी घाट क्षेत्र में वर्ष 2050 तक कुल मानव आबादी 2.6 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है जिससे यहाँ मानवजनित हस्तक्षेपों का पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ने से यहाँ भोजन, सड़क और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि की माँग में वृद्धि होगी जो स्थानीय प्रजातियों के निवास के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, क्षेत्रीय या स्थानीय जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बिना वर्षा वाले दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाले दिनों की संख्या में वृद्धि होने से मृदा की नमी में कमी और मृदा निम्नीकरण में वृद्धि हुयी है। इन कारकों ने लगातार वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे जंगलों में स्थानिक प्रजातियों का पुनरुत्पादन नहीं हो पाता है।
- दुनिया भर के अध्ययनों से पता चला है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पौधों की जैव-विविधता में तेजी से कमी आ रही है, जिससे अध्ययनकर्ता इस क्षेत्र में तत्काल संरक्षणकारी रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
- पूर्वी घाट वनों की कटाई, पनबिजली परियोजनाओं, बाँध और जलाशयों का निर्माण, बॉक्साइट खनन और सड़क चौड़ीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- इस क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ने से भी इन जंगलों पर दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रवासी प्रजातियाँ यहाँ आकर स्थानिक प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।
- जीव-जन्तुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा आवासीय क्षरण, शिकार और उनका व्यापार है। इस क्षेत्र में लोगों और जानवरों के बीच का संघर्ष भी बढ़ गया है जिससे कई जानवरों और कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

सरकार द्वारा पूर्वी घाट को संरक्षित करने के लिए किये जा रहे प्रयास

- आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पर्वतमालाओं को जैवमंडल रिजर्व के रूप में नामित किया जाना।
- पूर्वी घाट की जैव-विविधता संरक्षित करने के लिए अनेक वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) ने पूर्वी घाट की जैवविविधता के दस्तावेज तैयार करने के लिए अनेक वनस्पतियों से संबंधित प्रकाशन निकाले हैं।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने पूर्वी घाट में जीवजन्तु संबंधी संसाधनों के दस्तावेज तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। इसने राज्य जीव-जन्तु शृंखलाओं के अंतर्गत 8 खण्डों में आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के जीव-जन्तुओं (दोनों में पूर्वी घाट के जीव जन्तु शामिल हैं, का प्रकाशन किया है।
- प्रबंधन और संरक्षण हेतु आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 15 नमभूमियों की पहचान की गई है।
- मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण हेतु आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 16 मैंग्रोव वनस्पति स्थलों की पहचान की गयी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ओडिशा में राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केन्द्र की स्थापना की है।
- एक राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है और जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार पूर्वी घाट में जैव-विविधता के लिए सात जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इन जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जैव-विविधता रजिस्टर तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य जैव-विविधता बोर्डों को मॉडल जन जैव-विविधता रजिस्टर भी जारी किया गया है।
- वन्य हाथियों की व्यापक संख्या वाले राज्यों, (ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल) में हाथियों की पहचान की गयी और उनके प्राकृतिक पर्यावरणों में दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए हाथी परियोजना फरवरी, 1992 में आरंभ की गयी थी।
- सरकार पूर्वी घाट में जीव-जन्तुओं के हो रहे अवैध व्यापार, शिकार आदि पर भी लगाम लगाने का कार्य कर रही है।

पूर्वी-घाट और पश्चिमी घाट में अंतर

- **दिशा:** पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर-दक्षिण दिशा में पश्चिमी तट के समानांतर चलता है, जबकि पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर नीलगिरि पहाड़ियों तक उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा के समानांतर चलता है।
- **चौड़ाई:** पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई 50 से 80 कि.मी. है जबकि पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई 100 से 200 किमी. तक है।
- **नदियों का स्रोत:** पश्चिमी घाट कई बड़ी नदियों का स्रोत है (यथा -गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि) जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं जबकि पूर्वी घाट से कोई बड़ी नदी का उद्गम स्रोत नहीं है।
- **वर्षा:** पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून के लगभग लंबवत है, जिसके कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी बारिश होती है जबकि पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के लगभग समानान्तर है, जिसके कारण यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और यहाँ कम बारिश होती है।
- **भौतिक विभाजन:** पश्चिमी घाट में निरंतरता है जिससे इन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी घाट को बड़ी नदियों द्वारा कई भागों में विभाजित किया गया है।
- ऊँचाई: पश्चिमी घाट की औसत ऊँचाई समुद्रतल से 900 से 1,100 मी. तक है जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 600 मी. तक है।

यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल बनने के लाभ

जिस भी स्थल को सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तथा वह विश्व के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उस जगह पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। विदेशी पर्यटकों के आने से देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है और उन्हें देश की संस्कृति को पहचाने व समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। जिससे देश की छवि अच्छी होती है। स्थल के संरक्षण के लिए देश-विदेश से फंडिंग भी प्राप्त होती है। विरासत स्थल घोषित होने से इसे यूनेस्को द्वारा विभिन्न सरकारों, प्राइवेट सेक्टरों और एनजीओ से जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि वे इन स्थलों के संरक्षण के लिए आगे आयें और अपने विरासत स्थलों को सहेज कर रखें। विरासत स्थल को लेकर संयुक्त राष्ट्र का एक समझौता भी है जिसमें कहा गया है कि युद्धकाल में भी ऐसे सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट नहीं किया जाएगा।

आगे की राह

पूर्वी घाट को अकसर नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ तक कि सभी हितधारकों और शोधकर्ताओं की रूचि पश्चिमी घाट और हिमालय के अध्ययन में है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि पूर्वी घाट भी पारिस्थितिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पश्चिमी घाट और हिमालय। पूर्वी घाट उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम मानसून दोनों के मानसून विराम (Mansoon Break) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अत: भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य के वन विभागों को पूर्वी घाट के जैवविविधता संरक्षण पर केन्द्रित योजनाओं को बनाना और उनका सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करना होगा तभी हमारी अतुल्य धरोहरों की हिफाजत की जा सकेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

06 विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2019: एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में 'ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (The-United Nations office of Drugs and Crime-UNODC) द्वारा वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है।

परिचय

वर्ष 2019 के लिए आईएनसीबी (INCB) की वार्षिक रिपोर्ट का विषयगत अध्याय नशे के आदी युवाओं के लिए रोकथाम और उपचार सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि 1961 के नारकोटिक्स ड्रग्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 में, विभिन्न देशों ने बच्चों को मादक पदार्थों के अवैध उपयोग से बचाने के लिए, साथ ही नशीली दवाओं के अवैध

उत्पादन और तस्करी में बच्चों की संलिप्तता को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। ज्ञातव्य है कि 1988 के नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस दायित्व की पुन: पुष्टि की गई थी। इसी प्रकार वैश्विक रूप से नारकोटिक्स जैसी समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद, नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनेक संकल्प तथा घोषणाओं को अपनाने की बात कही लेकिन समस्या घटने के बजाए बढ़ती ही गयी। पिछले कुछ वर्षों से बच्चों और युवाओं द्वारा मादक पदार्थों का सेवन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अत: नशीली दवाओं के उपयोग की प्रभावी रोकथाम और उपचार के माध्यम से युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा/समाज का साझा कर्त्तव्य है।

इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB)

INCB संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र एवं अर्द्ध-न्यायिक निगरानी निकाय है। इसकी स्थापना 'नारकोटिक्स ड्रग्स कन्वेंशन' 1961 के अनुसार 1968 में की गई थी। इसका सचिवालय आस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

INCB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 16 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं द्वारा शराब, तंबाकू और भांग का उपयोग करने से ऐसे युवाओं में मादक पदार्थों के भविष्य में उपभोग की संभावना और बढ़ जाती है।

- रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन उच्चतम है।
- कैनबिस (Canabis) (भांग, गांजा आदि) सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है।
- 15-16 वर्ष की आयु के युवाओं में मादक पदार्थों के उपयोग की उच्चतम दर क्रमश: यूरोप (13.9 प्रतिशत), अमेरिका (11.6 प्रतिशत), ओशिनिया (11.4 प्रतिशत), अफ्रीका (6.6 प्रतिशत) तथा एशिया में 2.7 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स तस्करों द्वारा अवैध दवाओं के बदले फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी की जा रही है, जिनमें-गांजा, हीरोइन आदि प्रमुख हैं। ज्ञातव्य है कि नियंत्रित फार्मास्यूटिकल दवाओं की अवैध कालाबाजारी पर विभिन्न देशों में दंड का प्रावधान भी बहुत कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार, फेनोबार्बिटल दवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बेची जाने वाली वैध निक दवाओं में से एक हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018 में विश्व के 161 देशों में इस दवा का आयात एवं निर्यात किया गया। उल्लेखनीय है कि यह दवा मिर्गी के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की डब्ल्यूएचओ की आदर्श सूची में शामिल है।
- फेनोबार्बिटल दवा का अग्रणी निर्माता देश चीन है, उसके बाद क्रमश: भारत तथा हंगरी का स्थान आता है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चीन, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने निर्यात पूर्व सूचना (Pre-Export Notification-PEN) जैसी ऑनलाइन पद्धति का पालन उचित तरीके से नहीं किया है।

PEN ऑनलाइन सिस्टम

इस प्रणाली का विकास UNODC/ INCB द्वारा मिलकर किया गया है। इसका उद्देश्य INCB सदस्य देशों द्वारा आयात-निर्यात की पूर्व सूचना देने तथा राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम अधिकारियों को रसायन के बारे में सचेत करने के लिए किया जाता है।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नियमित फार्मास्यूटिकल दवाओं जैसे-इफेड्रिन तथा स्यूडोइफेड्रिन आदि के अवैध कारोबार में वृद्धि देखी गई है। ज्ञातव्य है कि ये दवाएं भारत में नियंत्रित पदार्थ के रूप में अधिसूचित हैं।
- ट्रामाडोल दवाइयों की बात की जाए तो वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के मध्य जब्त की गई इन दवाइओं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक हुआ था। इन दवाइयों का उपयोग मध्यम से तीव्र दर्द-निवारक के रूप में किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत ट्रामाडोल के विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभरा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व के दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों-अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एवं म्यांमार, लाओस और थाइलैण्ड के मध्य स्थित है। इससे भारत की पहुँच इन देशों में आसान है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैध तथा अवैध दवाओं का प्रमुख निर्माता के साथ-साथ इन दवाओं की अवैध तस्करी करने वाले शीर्ष देशों में से एक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने UNODC में लाइसेंस प्राप्त दवा एवं संबंधित कच्चे माल के विनिर्माण, आयात तथा निर्यात संबंधित अपनी सांख्यिकीय रिपोर्ट को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि इस नियम का पालन करने वाले देश हैं-आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, लक्समबर्ग और स्पेन।

यूएनओडीसी

UNODP की स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division-CPCJD) के संयोजन में की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर UNODC कर दिया गया।

भारत में मादक पदार्थों की वर्तमान स्थिति

- भारत में मादक पदार्थों की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में "मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस एब्यूज इन इंडिया" शीर्षक से एक सर्वेक्षण किया गया जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा तैयार किया गया है।
- भारत सरकार के इस सर्वे में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्यों (Union Territories) को शामिल किया गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि तकरीबन 7.13 करोड़ भारतीय तरह-तरह के नशों की गंभीर लत से जूझ रहे हैं।
- सर्वे में सबसे ज्यादा 5.17 करोड़ लोग शराब के गंभीर लती पाए गए हैं। इसके अलावा 72 लाख लोग भांग, 60 लाख लोग अफीम व चरस और 11 लाख लोग नशीली गोलियाँ या इंजेक्शन आदि से होने वाले नशे की लत में फंसे हुए हैं।
- सर्वे में 70,293 लोग ऐसे भी शामिल हैं, जो नशे के लिए खतरनाक किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं।
- सर्वे में ये भी आशंका व्यक्त की गई है कि नशे की गंभीर लत से जूझ रहे लोगों की वास्तविक संख्या सर्वे रिपोर्ट से भी ज्यादा हो सकती है। भारत में नशे की लत के ये आंकड़े दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच एकत्र किए गए हैं।
- लोगों में भांग की लत बढ़ना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। सर्वे में बताया गया है कि भांग बहुत से लोगों के लिए एक शुरूआती नशे (गेटवे ड्रग) की तरह है। मतलब जो लोग भांग से नशे की शुरूआत कर रहे हैं और फिर कोकीन

व हेरोइन जैसे खतरनाक नशों के जाल में फंसते जा रहे हैं।

- सर्वे से ज्ञात होता है कि कुल आबादी के 27.3 फीसद पुरुष और 6.4 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करते हैं। महिलाओं के मुकाबले शराब का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या 1.6 फीसद अधिक है।
- सर्वे के अनुसार, चंडीगढ़, त्रिपुरा और पंजाब में आधे से ज्यादा पुरुष आबादी शराब का सेवन करती है। अगर शराब का सेवन करने वालों की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1.4 करोड़ लोग हैं और तीसरे स्थान पर मौजूद मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं।
- सर्वे में पता चला है कि देश में 19 फीसद लोग शराब की गंभीर लत के आदि हो चुके हैं। शराब और ड्रग्स के अलावा भी लगभग 4.6 लाख बच्चे और 18 लाख वयस्क सर्दी-जुकाम में दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इनहेलर (Inhalers) और नशीली दवाईयों की लत से जूझ रहे हैं।
- सर्वे से ज्ञात होता है कि यूपी, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भांग, गांजा और चरस का प्रचलन काफी ज्यादा है। इन राज्यों में ये मादक पदार्थ प्रतिबंधित होने के बावजूद आसानी से लोगों को उपलब्ध है।
- सिक्किम और पंजाब में भांग का उपयोग, राष्ट्रीय औसत से भी तीन गुना ज्यादा है। सर्वे के अनुसार, भारत की पांच फीसद आबादी शराब पीने से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों से जूझ रही है।

प्रभाव

- नशीले पदार्थों और शराब के सेवन की समस्या व्यक्ति, परिवार, और समाज को स्वास्थ्य, संस्कृति, विकास और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभावित करती है। यह समस्या गरीबी को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के मानवीय संसाधनों और लोक-कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को प्रभावित करती हैं।
- अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग से स्वास्थ्य की चुनौतियां पैदा हो रही हैं। खासकर युवा पीढ़ी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर अधिक बुरा असर पड़ रहा है।
- सामाजिक और आर्थिक वातावरण में हो रहे निरंतर बदलाव तथा हर क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण, युवा-वर्ग में मनोरोगियों की संख्या भी बढ़ी है और मादक पदार्थों तथा मद्यपान का प्रचलन भी।
- नशीली दवाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप दवाओं के आदी व्यक्ति के जीवन का हर पहलू प्रभावित हो जाता है। ड्रग्स मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो मानव मस्तिष्क की संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। यह पदार्थ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी गयी प्रक्रियाओं और जानकारियों को प्रभावित करते हैं।

मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए भारत सरकार के प्रयास

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान किया गया है कि राज्य मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
- देश में नारकोटिक ड्रग एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 बनाया गया था, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 2014 में संशोधन बिल लाया गया था। इसके आधार पर 2015 में नया कानून बनाया गया।
- नशीले पदार्थों के सेवन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर 1998 में राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान (एनसीडीएपी) की स्थापना कर मादक द्रव्य ब्यूरो को एक व्यापक भूमिका प्रदान की गई।
- एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 71 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार है।
- नोडल एजेंसी के रूप में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, शराब और मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण योजनाओं के अंतर्गत लोगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे एकीकृत पुनर्वास केंद्र को सहायता प्रदान कर रहा है।
- फार्मास्यूटिकल दवाओं का कारोबार करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है। बड़े स्तर पर इन प्रावधानों के उल्लंघन होने की स्थिति में कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को एक्ट की धारा 42 का पालन करने के लिए कहा है। धारा 42 के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया है।
- इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाए गए तीन सम्मेलनों- नारकोटिक्स ड्रग सम्मेलन 1961, साइकोट्रॉपिक्स पदार्थ 1971 के सम्मेलन तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं सायकोट्रॉपिक्स पदार्थ 1988 में हस्ताक्षर कर इस पर वचनबद्धता दोहराई है।

चुनौतियाँ

समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी संस्थाओं, कम्यूनिटी बेस्ड ऑर्गनाइजेशन्स, शोध संस्थानों, जागरूकता बढ़ाने में तत्पर संस्थाओं तथा व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने वाले विशेषज्ञों और सामान्य नागरिकों को इस भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु उठाये गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन चुनौतियां आज भी विद्यमान है, जो निम्नलिखित हैं-

- भारत की आबादी और भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व-संकल्प में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
- मादक पदार्थ पैदा करने वाले म्यांमार - लाओस - थाईलैंड के 'गोल्डन ट्राएंगल' और ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान के 'गोल्डन क्रेसेंट' कहे जाने वाले क्षेत्रों के बीच भारत की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लिए यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी के कारण इनके दुरुपयोग में बढ़ोतरी के साथ-साथ आतंकवाद और राजनीतिक अशांति की समस्याएँ भी जुड़ जाती हैं।
- अकसर युवाओं तथा बच्चों द्वारा साथियों के दबाव में अवैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग शुरू किया जाता है। प्रायः ऐसे युवाओं में इन पदार्थों से होने वाली हानि के बारे में जागरूकता भी नहीं होती है।
- भारत में नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए इलाज की उचित और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। शराब के आदि हो चुके 38 में से केवल एक व्यक्ति को किसी तरह का इलाज मिल पा रहा है। वहीं शराब के आदि

हो चुके 180 व्यक्तियों में से मात्र एक का अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं ड्रग के आदि हो चुके 20 लोगों में से केवल एक व्यक्ति को सही इलाज मिल पा रहा है। इसके अलावा सामाजिक ताना-बाना और धार्मिक मान्यताएँ आदि।

आईएनसीबी रिपोर्ट की अनुशंसाएँ

- सभी सरकारों को नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित ऑकड़ों को संग्रह करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है।
- नशीली दवाओं के उपयोग, रोकथाम तथा उपचार से संबंधित क्षमता निर्माण का विकास करना चाहिए।
- परिवार, स्कूल तथा विभिन्न समुदाओं में विभिन्न साक्ष्य आधारित, रोक-थाम कार्यक्रम को लागू कर नशीली दवाओं के प्रसार को हतोत्साहित करना चाहिए।
- सभी सरकारों द्वारा नशीली दवाओं से ग्रसित युवाओं की शीघ्र पहचान कर उनका उपचार किया जाना चाहिए।
- सभी सरकारों को मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए दण्ड के कड़े प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

आगे की राह

- पंजाब और मणिपुर जैसे सीमावर्ती राज्यों में और भी अधिक सतर्कता और निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।
- इस समस्या का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन तथा राष्ट्रीय अधिनियम एवं नीतियां लागू हैं। परंतु प्रभावी समाधान के लिए समाज और समुदायों की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है।
- नशाग्रस्त युवाओं की प्रभावी नशामुक्ति के लिए उन्हे सार्थक रूप से रोजगार-युक्त बनाकर समाज के साथ जोड़ने की जरूरत है।
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या को जागरूकता, रोकथाम की जानकारी, प्रोत्साहन, तथा समर्थन के प्रयासों से हल किया जा सकता है। इन प्रयासों में नशा-प्रभावित लोगों प्रति करुणा और सहानुभूति भी आवश्यक है। माता-पिता, शिक्षकों, चिकित्सकों, स्थानीय और स्वैच्छिक संस्थाओं के लोगों को ट्रेनिंग दे कर चिकित्सा और पुनर्वास के प्रयासों में बड़े पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार द्वारा 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस' के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
- भारत में लगभग चार सौ नशा-मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या के प्रामाणिक आंकलन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इससे प्राप्त होने वाले परिणामों से हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक स्पष्ट फोकस के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- भारत को न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए बल्कि नशीली दवाओं संबंधी घरेलू नियमों को कठोर बनाना चाहिए।
- इसके अलावा भारत को पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए, साथ ही व्यापक सीमा सुरक्षा प्रबंधन को और बेहतर करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

07 ग्रामीण विकास कार्यक्रमः एक समीक्षा

चर्चा का कारण

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है।

परिचय

भारत गाँवों का देश है, जहाँ भारत की कुल आबादी की (जनगणना 2011 के अनुसार) 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसलिए जब-तक गाँवों का विकास नहीं होगा तब-तक भारत का विकास संभव नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में मूलभूत बुनियादी सुविधाएँ आज भी मौजूद नहीं है, जैसे- आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विद्युत आदि। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए तथा गाँवों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए

ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया है। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है। विदित हो कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, प्रत्येक राज्य में विकास के रास्ते/क्षेत्र अलग-अलग हैं इसलिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की राह में अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इस लेख में भारत के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर मजदूरी के भुगतान, ग्रामीण स्तर पर ही शिकायत निवारण, कौशल निर्माण तथा बेहतर बाजार कनेक्टिविटी आदि देश में ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों के केन्द्र में होने चाहिए। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आंकलन किया गया है-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यक्रमों को केन्द्र

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् एवं समावेशी विकास के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का शुभारंभ 25 दिसंबर, 2000 को हुआ था। इसका उद्देश्य आबादी के उन क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ना था, जो सड़क-मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके लिए मैदानी इलाकों में 500 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी को आधार बनाया गया है। अब-तक 6,86,454.52 किमी रोड निर्माण की मंजूरी मिली है जिनमें से 5,81,417. 12 किमी रोड का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,000 किमी रोड निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई देश के 27 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 1624 सक्रिय प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं और 641 प्रशिक्षण भागीदार हैं। अब तक 1414 चल रही परियोजनाओं के माध्यम से 52 क्षेत्रों के 526 पेशों (ट्रेड) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 जनवरी, 2019 से 20 दिसंबर, 2019 तक 2.29 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 1.39 लाख उम्मीदवारों को देश भर में रोजगार प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) : वर्तमान में देश में लगभग 585 आरएसईटीआई कार्यरत हैं। वर्तमान में आरएसईटीआई 4 प्रमुख क्षेत्रों-कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम की 61 विधाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं। 1 जनवरी, 2019 से 20 दिसंबर, 2019 तक 2,62,570 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से 1,43,702 उम्मीदवारों को देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मिला है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) का शुभारंभ 2011 में हुआ था। इसका लक्ष्य लगभग 9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के अन्तर्गत लाना है साथ ही उन्हें दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आय बढ़ा सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। मिशन ने अक्टूबर, 2019 तक गहन रणनीति के अन्तर्गत 29 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 646 जिलों में स्थित 5894 ब्लॉकों को कवर किया है। साथ ही 6.47 करोड़ से अधिक महिलाओं को अक्टूबर, 2019 तक 5.87 लाख स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान अक्टूबर, 2019 तक लगभग 67.9 लाख महिलाओं को 6.55 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है, जबकि लक्ष्य 93.66 लाख महिलाओँ को 8.10 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना निर्धारित किया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।

मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य मनरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिये एक सफल कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) : सरकार द्वारा 2022 तक "सभी के लिए आवास" को प्राथमिकता देने के संदर्भ में पहले के ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की पुर्नसंरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) तैयार की गई है। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2016 को किया गया था। पीएमएवाई-जी का लक्ष्य है- सभी बेघरों, कच्चे घर व टूटे-फूटे घरों में रहने वालों को 2022 तक पक्का आवास देना जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों। "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2021-22 तक विभिन्न चरणों में 2.95 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। पहले चरण के तहत 3 वर्षों में (2016-17 से 2018-19 तक) 1 करोड़ घर बनाए जा चुके है, जबकि दूसरे चरण के अन्तर्गत 3 वर्षों में (2019-20 से 2021-22) 1.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रु. और पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों/ आईएपी जिलों के लिए 1,30,000 रु. की राशि निर्धारित की गई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम): श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 300 क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं जिनका कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। मिशन को लागू करने का उद्देश्य है कौशल विकास, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और समयबद्ध व न्यायपूर्ण तरीके से इन क्लस्टरों का रूपांतरण करना। प्रत्येक क्लस्टर के लिए "एकीकृत क्लस्टर कार्ययोजना" (आईसीएपी) तैयार की गई है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना: आँकड़ों में देखा जा सकता है कि योजना के क्रियान्वयन में सांसदों के द्वारा उत्साह की कमी रही है। योजना के चौथे चरण के अंतर्गत गाँवों के विकास के लिये अभी तक दो तिहाई लोकसभा सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र से ग्रामसभाओं का चुनाव भी नहीं किया है। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की वर्तमान संख्या 790 है, जबकि दोनों सदनों से केवल 252 सदस्यों ने ही अभी तक चयनित ग्रामसभाओं की सूची साझा की है, जिनमें 208 लोकसभा तथा 44 सदस्य राज्यसभा से हैं। योजना के पहले चरण में जहाँ लोकसभा के 703 सांसदों ने हिस्सा लिया था, वहीं दूसरे चरण में इनकी संख्या केवल 497 और तीसरे चरण में घटकर मात्र 301 रह गई।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित कई रिपोर्ट बताती है कि गांवों में उपभोक्ता खर्च के कम होने की वजह से भारत में आर्थिक मंदी बढ़ रही है। ऐसे में, जब तक ग्रामीणों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, आर्थिक मंदी का असर कम नहीं होगा । बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए 61500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि 2019-20 में बजट का संशोधित अनुमान (आरई) 71001.81 करोड़ रुपए था। हालांकि बजट में असल अनुमान 60 हजार करोड़ रुपए का लगाया गया था। यानी कि संशोधित अनुमान के हिसाब से बात की जाए तो सरकार ने लगभग 10 हजार करोड़ रुपए (15 फीसदी) घटा दिया है।
- सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुल बजट आवंटन को भी कम कर दिया है। बजट 2019-20 का संशोधित अनुमान 1,22,649 करोड़ रुपए था, जबकि बजट 2020-21 में इसे घटाकर 1,20,147.19 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने सुझाव दिया था

कि अगर मनरेगा का आवंटन बढ़ता है तो ग्रामीणों तक पैसा पहुंचेगा और उनका उपभोग व्यय बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।

- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के लिए चल रही योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मामूली बढ़ोतरी की गई है। साल 2019-20 के बजट में पीएमजीएसवाई के लिए 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में संशोधित अनुमान 14070 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब 2020-21 के लिए 19500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है।
- पंचायती राज संस्थानों के बजट में भी मामूली सी वृद्धि की गई है। 2019-20 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 871 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। अब नए बजट में इसे बढ़ाकर 900 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल का संशोधित अनुमान केवल 500 करोड़ रुपए ही था।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि भारत के कुल कामगारों में से पांच प्रतिशत से भी कम ने किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जहां भारत के कुल कामगारों का केवल 4.69 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से कुशल है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत कामगार कुशल हैं। देश के 112 में से 108 जिलों में प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के परिणाम निराशाजनक हैं जिनमें जुलाई 2018 से फरवरी 2019 के बीच नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। मौजूदा सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 96 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास कार्यों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है । सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ द्वारा 5 जून 2019 को जारी की गई 'स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, 2019' रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं का लक्ष्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों की मांग के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्षम बनाना था। जिससे कमजोर तबके के युवाओं का भी विकास हो सके। इसलिए इन योजनाओं में होने वाली नकारात्मक वृद्धि सीधे-सीधे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना की असफलता को दर्शाती है।
- लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि एक अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरूआत की गई। वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। दो चरणों में सरकार ने 1,59,86,012 घर बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 87 प्रतिशत स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें से कुल लक्ष्य का अब तक केवल 67 फीसदी मकान बने हैं।
- इस योजना की सबसे बड़ी समस्या इसकी जटिल प्रक्रिया है, जिनके कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान के लिए आवेदन करना होता है, जो आवेदन आते हैं, उनका सर्वे करके देखते हैं कि मकान कच्चा है या पक्का। योजना के तहत पात्र होने के लिए सरकार की ओर से 13 शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों को पूरा करने और फिर सरकारी प्रोसेस में एक साल से अधिक समय लग जाता है। मकान बनाने के लिए किस्तें कभी केंद्र से बजट के अटकने, तो कभी फील्ड ऑफिसर की लापरवाही के कारण देरी से मिलती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, (पीएमएवाई-जी) के तहत लक्षित एक करोड़ घरों में से करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा होना अभी शेष है। इसमें से अधिकतर घर बिहार (26 प्रतिशत), ओडिशा (15.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (8.7 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (8 प्रतिशत) में हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के तहत 1.87 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है अर्थात् केवल 59 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है। रिपोर्ट में राज्यों को ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने तथा लाभकारी रोजगार तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

चुनौतियाँ

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए निगरानी संस्था का अभाव।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
- लालफीताशाही, भ्रष्टाचार तथा जवाबदेहिता की कमी।
- इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी।
- राज्यों तथा केन्द्र के विवाद की वजह से राज्यों द्वारा इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी।
- कार्यक्रमों की अधिकता (केन्द्र तथा राज्यों की) के कारण पर्याप्त धन का अभाव।
- लोगों में शिक्षा तथा जागरूकता की कमी।

आगे की राह

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ही आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तभी बन पाएगी जब ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को वरीयता दी जाए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक निगरानी संस्था बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इन कार्यक्रमों की ऑडिटिंग भी समय-समय पर की जानी चाहिए।
- देश के नीति-निर्माता ही जब अपने कार्यों (जैसे- आदर्श सांसद ग्राम योजना) को प्रभावी तरीके से नहीं क्रियान्वित करेंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। अत: राजनीतिक हस्तियों को भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देते हुए लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्यों में समन्वय भी महत्वपूर्ण है।
- विभिन्न कार्यक्रमों को आपस में मिलाकर एकीकृत कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। इससे समय तथा धन दोनों की बचत होगी।
- सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोगों को शिक्षित तथा जागरूक किया जाए जिससे कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

7 विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

01 अमेरिका-तालिबान शांति समझौताः कितना कारगर

प्र. अमेरिका-तालिबान शांति समझौते के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करते हुए, भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- अमेरिका अंततः तालिबान के साथ एक ऐसा समझौता करने में सफल हो गया है, जिसके चलते अगले 14 महीनों में युद्ध से तबाह हुए अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी होने की संभावना है।

समझौते के प्रमुख बिन्दु

- लगभग 19 साल बाद अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते ने अमेरिका के लिए अपने इतिहास के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए मंच तैयार किया।
- तालिबान एवं अमेरिका के बीच जो सहमति बनी है, उसके अनुसार अमेरिका अगले तीन से चार महीनो में अफगानिस्तान में मौजूद अपने 14 हजार सैनिकों की संख्या को घटाकर 8 हजार 600 तक ले आएगा।

अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता

- लगभग 19 साल पुराने अफगानिस्तान युद्ध में इस समझौता वार्ता का अपनी मंजिल तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस युद्ध के दौरान, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा धन खर्च किया है। साथ ही अमेरिका के 2400 से अधिक सैनिक इस जंग की भेंट चढ़ गए। इनके अतिरिक्त, 10 हजार अफगानी सुरक्षा बल, आम नागरिक और उग्रवादी भी इस युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं।

यूएस सेना की वापसी से भारत पर क्या होगा असर

- अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया का भारत एक अहम पक्षकार भले ही है, लेकिन इससे भारत का संकट कई गुना बढ़ने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि, अफगानिस्तान की जनता चाहती है कि भारत उनके देश में बड़ी भूमिका निभाए लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं। इस डील के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी शिविर अपने देश से हटाकर अफगानिस्तान भेज सकता है। साथ ही दुनिया को दिखा सकता है कि वह आतंकियों का पोषण नहीं कर रहा है। इसके अलावा तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में पूरी तरह से कब्जा करने के बाद कश्मीर की ओर रुख कर सकते हैं।

चुनौतियां

- अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की राह में चुनौतियां और भी गंभीर होने वाली हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में दो राजनीतिक परिकल्पनाएं आमने-सामने हैं। एक तरफ तालिबान की इस्लामिक अमीरात है तो दूसरी तरफ एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान गणराज्य है, जो 2001 के हमलों के पश्चात तबाही के खंडहरों के बीच से उठा है। इन दोनों के बीच सहमति बन पाना मुश्किल है।

निष्कर्ष

अफगान सरकार का कहना है कि वह संघर्ष विराम के बिना वार्ता शुरू करने के लिए सहमत नहीं होगी। मगर संघर्ष विराम पर कोई वादा तालिबान द्वारा नहीं किया गया।

02 भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य

प्र. क्रिप्टोकरेंसी क्या है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिप्टोकरेंसी को वैध किये जाने से भारत में इसकी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी है। विदित हो कि इससे पहले 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिसंबर 2019 में RBI ने जब अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी तभी साफ कर दिया था कि इस तरह की किसी भी आभासी मुद्रा के चलन को भारत में मंजूरी नहीं दी जाएगी।

क्या है मामला

आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

क्रिप्टोकरेंसी से लाभ

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है।
- अधिक पैसा होने पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना फायदेमंद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। लिहाजा, निवेश के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
- अधिकतर क्रिप्टोकरेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन-देन सरल हो चुका है।

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले नुकसान

- क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। ना तो इस करेंसी के नोट छापे जा सकते हैं और न ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जा सकती है।

- इसको नियंत्रित करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है जिससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा है।

निष्कर्ष

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है। भारत एक तेज गति से विकास करने वाला देश है, इसलिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक बनाने तथा तीव्र विकास के लिए क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन में होना आवश्यक है। यही नहीं जब देश कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देता है तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कई भी नई तकनीकी जो वैश्विक स्तर पर प्रचलित व सुरक्षित हो उसे अपनाया जाय।

03 भारत में मनी लॉन्ड्रिंग: चुनौतियाँ एवं समाधान

प्र. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? हाल ही में जारी जीएफआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (जीएफआई) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार के जरिये काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत में व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के जरिए अनुमानित 83.5 अरब डॉलर की राशि पर टैक्स चोरी की जाती है।
- गैर कानूनी तरीके से धन के प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में भ्रष्टाचार, वाणिज्यिक कर की चोरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध आते हैं।
- जीएफआई की रिपोर्ट 135 विकाशील देशों में व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह के आधार पर तैयार की गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गये काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसिया भी धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पाती हैं। जो व्यक्ति धन की हेरा-फेरी करता है उसको 'लाउन्डरर' (Launderer) कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है।

प्रभाव

- सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी करता है। इसकी सफलता अपराधियों को अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दरअसल इससे देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, मुद्रा विनियम दर तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की वर्तमान स्थिति

- वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (कालेधन को सफेद करना) भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। आए दिन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। इसी संदर्भ में पीएनबी स्कैम, संदेसरा ब्रदर्स स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और 2 जी स्कैम काफी चर्चा में रहे। भारतीय संसद ने वित्तीय अपराधों को रोकने और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है।

आगे की राह

- देश में कर संबंधी कानूनों में एकरसता, सरलता एवं साम्य स्थापित किया जाए।
- अंततः यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी है जिसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाना है। इसके अलावा मौजूदा कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा इसमें लिप्त लोगों को कड़ी सजा देनी होगी।

04 ईज 3.0 रिपोर्ट: एक अवलोकन

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' भारतीय बैंकिंग उद्योग के आधार स्तंभ हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्मार्ट एवं तकनीक आधारित बैंक सेवाएं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सुधार एजेंडा 2020-21 को लेकर 'ईज 3.0' और पीएसबी ईज सुधार वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जारी की।

'ईज 3.0' रिपोर्ट क्या है?

EASE प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सुधारों का एक सेट है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीकी का सक्षम और स्मार्ट बनाना, प्रौद्योगिकी सुधार के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, व्यापक वित्तीय समावेशन, बेहतर बैंकिंग अनुभव, आसान ऋण वितरण सुनिश्चित करना, तथा ग्राहकों के लिए बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करना है।

भविष्य में बैंकिंग रोड मैप

- यूको बैंक ने ग्राहकों के लिए एप, पोर्टल या कॉल सेंटर के माध्यम से सेवाएं पाने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को 50 करोड़ रुपये तक का पूर्ण डिजिटलीकृत ऋण देने के लिए अपने एप का पूर्वावलोकन पेश किया जिसे आने वाले वर्ष में लॉन्च करने का प्रस्ताव है।

ईज 3.0 से लाभ

- ग्राहकों को EASE 3.0 रिफॉर्म के जरिए पाम बैंकिंग की सुविधा मिलेगी।
- पाम बैंकिंग के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड-टू-एंड डिजिटल डिलिवरी होगी।
- इसके अलावा 'Banking on Go' की सुविधा लॉन्च की जाएगी। मॉल्स, स्टेशनों,
- कॉम्प्लेक्स और शैक्षणिक एवं अन्य परिसरों में ही बैंकिंग आउटलेट्स खुलेंगे।

चुनौतियाँ:

- हाल के कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र में कई व्यावसायिक संस्थाओं की असफलता और उनकी वित्तीय गड़बड़ियों के कारण आर्थिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिली है। इसके साथ ही ज्यादातर बैंकों ने सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए ऋण वितरण में कमी की है।
- परिवहन और कई व्यावसायिक क्षेत्रों में दबाव तथा बाजार में मंदी जैसी स्थितियों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों जैसे-घर,कार आदि की खरीद पर भी देखने को मिला है। ऐसे में मांग (Demand) में गिरावट भी ऋण वितरण की कमी का एक कारण बना है।

आगे की राह

- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान समय में लगभग सभी बैंकों की एक शाखा में कर्मचारियों की औसतन संख्या 7 है। ऐसे में सामान्य दैनिक कार्य के अलावा सरकारी योजनाओं (मुद्रा योजना, जनधन योजना आदि) के सफल कार्यान्वयन के साथ ऋण वितरण करना बैंकों के लिये एक चुनौती है। अतः बैंकों को आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये, जिससे बैंकों के दैनिक कार्यों के साथ-साथ बैंक-ग्राहक संबंधों को भी बेहतर बनाया जा सके।

05 पूर्वी घाट के संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता

प्र. पूर्वी घाट को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो क्या इससे पूर्वी घाट की जैव-विविधता को संरक्षित किया जा सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

एलायंस ग्रीन स्लायंस फॉर कन्जर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट (GrACE) और काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन (CGR) दोनों ने माँग की है कि पूर्वी घाट के सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया जाना चाहिए।

पूर्वी घाट-पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- ग्रीन एलायंस फॉर कन्जर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट (GrACE) और काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन (CGR) दोनों ने अपनी रिपोर्ट (पूर्वी घाट-पर्यावरण आउटलुक) में कहा है कि केन्द्र सरकार पूर्वी घाट पर राज्यों की एक क्षेत्रीय समन्वय समिति बनाए, जो पूर्वी घाट से संबंधित गतिविधियों में समन्वय के लिए कार्य करे।
- रिपोर्ट में पूर्वी घाट के लिए एक 'प्रकृति लोकपाल' (Nature Ombudsman) की नियुक्ति और एक पर्यावरणीय एटलस के प्रकाशन (जिसमें पूर्वी घाट की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विरासत की जानकारी शामिल हो) की माँग की गयी है।

पूर्वी घाट का महत्त्व

- यह घाट जैव-विविधता को बढ़ावा देता है साथ ही पेड़ों में ऊर्जा का भंडारण करता है। इन पहाड़ों में लगभग 3,000 वनस्पतियों की प्रजातियों का भण्डार मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 100 प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जो शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्द्ध-सदाबहार परिदृश्य में पायी जाती हैं।
- बाघ और हाथी सहित कई जानवर और लगभग 400 वर्षा प्रजातियाँ इन वनों से लगे हुए जंगालों में पायी जाती हैं। यह लाखों लोगों को पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ प्रदान करता है।

पूर्वी घाट को जलवायु-परिवर्तन से खतरा एवं अन्य चुनौतियाँ

- जलवायु और भूमि उपयोग परिवर्तन से भविष्य में पूर्वी घाट में पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र के संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसने पिछले 100 वर्षों की अवधि में लगभग 16 प्रतिशत वन कवर क्षेत्र खो दिया है।
- पूर्वी घाट वनों की कटाई, पनबिजली परियोजनाओं, बाँध और जलाशयों का निर्माण, बॉक्साइट खनन और सड़क चौड़ीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- इस क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ने से भी इन जंगलों पर दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रवासी प्रजातियाँ यहाँ आकर स्थानिक प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।

सरकार द्वारा पूर्वी घाट को संरक्षित करने के लिए किये जा रहे प्रयास

- आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पर्वतमालाओं को जैवमंडल रिजर्व के रूप में नामित किया जाना।
- पूर्वी घाट की जैव-विविधता संरक्षित करने के लिए अनेक वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना।

यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थल बनने के लाभ

- जिस भी स्थल को सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तथा वह विश्व के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उस जगह पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। विदेशी पर्यटकों के आने से देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है और उन्हें देश की संस्कृति को पहचाने व समझने का अवसर भी प्राप्त होता है।

आगे की राह

- पूर्वी घाट को अकसर नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ तक कि सभी हितधारकों और शोधकर्ताओं की रूचि पश्चिमी घाट और हिमालय के अध्ययन में है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि पूर्वी घाट भी पारिस्थितिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पश्चिमी घाट और हिमालय। पूर्वी घाट उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम मानसून दोनों के मानसून विराम (Mansoon Break) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

06 विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2019: एक विश्लेषण

प्र. विश्व ड्रग रिपोर्ट के संदर्भ में भारत तथा विश्व में ड्रग्स की स्थिति पर चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

हाल ही में 'ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (The-United Nations office of Drugs and Crime-UNODC) द्वारा वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन उच्चतम है।
- कैनबिस (Canabis) (भांग, गांजा आदि) सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है।
- फेनोबार्बिटल दवा का अग्रणी निर्माता देश चीन है, उसके बाद क्रमशः भारत तथा हंगरी का स्थान आता है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चीन, दक्षिण कोरिया तथा

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने निर्यात पूर्व सूचना (Pre-Export Notification-PEN) जैसी ऑनलाइन पद्धति का पालन उचित तरीके से नहीं किया है।

भारत की स्थिति

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नियमित फार्मास्यूटिकल दवाओं जैसे-इफेड्रिन तथा स्यूडोइफेड्रिन आदि के अवैध कारोबार में वृद्धि देखी गई है। ज्ञातव्य है कि ये दवाएं भारत में नियंत्रित पदार्थ के रूप में अधिसूचित हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैध तथा अवैध दवाओं का प्रमुख निर्माता के साथ-साथ इन दवाओं की अवैध तस्करी करने वाले शीर्ष देशों में से एक है।

भारत में मादक पदार्थों की वर्तमान स्थिति

- भारत में मादक पदार्थों की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में "मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस एब्यूज इन इंडिया" शीर्षक से एक सर्वेक्षण किया गया जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा तैयार किया गया है।
- सर्वे में 70,293 लोग ऐसे भी शामिल हैं, जो नशे के लिए खतरनाक किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं।

मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए भारत सरकार के प्रयास

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान किया गया है कि राज्य मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

चुनौतियाँ

- भारत की आबादी और भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व-संकल्प में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी के कारण इनके दुरुपयोग में बढ़ोतरी के साथ-साथ आतंकवाद और राजनीतिक अशांति की समस्याएँ भी जुड़ जाती हैं।

आगे की राह

- पंजाब और मणिपुर जैसे सीमावर्ती राज्यों में और भी अधिक सतर्कता और निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।

07 ग्रामीण विकास कार्यक्रम: एक समीक्षा

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि गाँवों का विकास 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' पर आश्रित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर मजदूरी के भुगतान, ग्रामीण स्तर पर ही शिकायत निवारण, कौशल निर्माण तथा बेहतर बाजार कनेक्टिविटी आदि देश में ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों के केन्द्र में होने चाहिए। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आंकलन किया गया है-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का शुभारंभ 25 दिसंबर, 2000 को हुआ था। इसका उद्देश्य आबादी के उन क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ना था, जो सड़क-मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके लिए मैदानी इलाकों में 500 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी को आधार बनाया गया है। अब-तक 6,86,454.52 किमी रोड निर्माण की मंजूरी मिली है जिनमें से 5,81,417.12 किमी रोड का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,000 किमी रोड निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) का शुभारंभ 2011 में हुआ था। इसका लक्ष्य लगभग 9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के अन्तर्गत लाना है साथ ही उन्हें दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आय बढ़ा सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) : सरकार द्वारा 2022 तक "सभी के लिए आवास" को प्राथमिकता देने के संदर्भ में पहले के ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की पुर्नसंरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) तैयार की गई है। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2016 को किया गया था। पीएमएवाई-जी का लक्ष्य है- सभी बेघरों, कच्चे घर व टूटे-फूटे घरों में रहने वालों को 2022 तक पक्का आवास देना जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम): श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 300 क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं जिनका कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है।

चुनौतियाँ

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए निगरानी संस्था का अभाव।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
- लालफीताशाही, भ्रष्टाचार तथा जवाबदेहिता की कमी।

आगे की राह

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक निगरानी संस्था बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इन कार्यक्रमों की ऑडिटिंग भी समय-समय पर की जानी चाहिए।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्यों में समन्वय भी महत्वपूर्ण है।

7 सात ब्रेन बूस्टर्स

समावेशी इंटरनेट सूचकांक-2020

1 चर्चा का कारण

1.1
हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit-EIU) द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक-2020 (Inclusive Internet Index-2020) प्रकाशित किया गया।

2 उद्देश्य

2.1
इसका उद्देश्य शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं को वे सूचनाएँ प्रदान करना है, जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.2
यह सूचकांक यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिये कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है।

2.3
यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित चार आधारों पर विभिन्न देशों का आँकलन करता है: सुलभता (Accessibility), उपलब्धता (Affordability), प्रासंगिकता (Relevance), और तत्परता (Readiness)

3 प्रमुख बिन्दु

3.1
रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट का सबसे कम इस्तेमाल पाकिस्तान में और सबसे अधिक भारत में होता है।

3.2
इस इंडेक्स में सौ देशों में इंटरनेट की स्थिति को शामिल किया गया है। पाकिस्तान का स्थान इन सौ देशों में 76वाँ है।

3.3
यह चौथा साल है जब समावेशी इंटरनेट सूचकांक में सौ ऐसे देशों को शामिल किया गया जहां विश्व की कुल जनसंख्या में से 91 फीसदी लोग रहते हैं और वैश्विक जीडीपी में जिनका हिस्सा 96 फीसदी है।

3.4
इंटरनेट की स्थिति पर इन देशों को सौ के स्केल पर अंक दिए गए। पहला नंबर सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया गया और 100 नंबर सबसे खराब के लिए।

3.5
इंडेक्स में पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर न्यूजीलैंड व तीसरे पर अमेरिका है। आस्ट्रेलिया और डेनमार्क, दोनों चौथे नंबर पर हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया का स्थान रहा।

3.6
इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में सर्वाधिक बुरी स्थिति बुरूंडी की रही। सौ देशों की सूची में वह सौवें स्थान पर है। उसके बाद सबसे बुरी स्थिति लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी और बुर्किनाफासो की है।

3.7
पिछले साल की तुलना में इस साल कम आय वाले देशों में इंटरनेट कनेक्शन प्रतिशत बढ़ा है।

3.8
रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में अभी भी लगभग 3.5 अरब लोगों के पास तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3.9
रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले देशों के इंटरनेट कनेक्शन की बढ़ोत्तरी में तेज गिरावट आई है।

3.10
रिपोर्ट के अनुसार अभी भी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के पास इंटरनेट का एक्सेस ज्यादा है।

4 भारत की स्थिति

4.1
भारत में अधिकांश लोगों को लगता है कि इंटरनेट नौकरियों को खोजने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है।

4.2
2018 में, भारत में 483 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। यह आंकड़ा 2023 में 666.4 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बढ़ने का अनुमान है।

4.3
अप्रयुक्त क्षमता के बावजूद, भारत पहले से ही दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है।

4.4
इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

लोकपाल नियम-2020

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लोकपाल नियमों को अधिसूचित किया है।

2 मुख्य बिन्दु

2.1

नए नियम के अनुसार अगर किसी मौजूदा प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो मामला दर्ज होते पूरी बैंच दो तिहाई बहुमत से इसका फैसला करेगी कि क्या मामले में किसी जाँच की जरूरत है या नहीं।

2.2

नए नियम में यह भी प्रावधान है कि अगर बेंच वर्तमान पीएम या पूर्व पीएम के खिलाफ शिकायत को खारिज कर देती है तो उससे जुड़े रिकॉर्ड्स न तो प्रकाशित किए जायेंगे और न ही उसे किसी को दिया जाएगा।

2.3

नए नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का वैध प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

2.4

नए नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक भी लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहचान पत्र के रूप में विदेशी नागरिकों को केवल पासपोर्ट की एक प्रति ही उपलब्ध करानी होगी।

2.5

लोक सेवकों के खिलाफ सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम तथा तटरक्षक बल अधिनियम के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।

2.6

नए अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत आमतौर पर अंग्रेजी में की जा सकती है; लेकिन लोकपाल संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी भाषा में शिकायतों का निवारण कर सकता है।

2.7

लोकपाल की एक खण्डपीठ पहले चरण में शिकायत की जाँच करेगी साथ ही यदि आवश्यक हो तो लोकपाल अन्य विवरण या शपथ पत्र भी मांग सकता है।

2.8

वे शिकायतें जिनकी सामग्री गैर कानूनी, अस्पष्ट हैं या इससे संबंधित कोई शिकायत 7 साल के अन्दर दर्ज नहीं की गई है या किसी अन्य अदालत, न्यायापालिका/अधिकरण के समक्ष लंबित हैं, का निपटारा 30 दिनों के अंदर करना होगा।

3 लोकपाल क्या है?

3.1

लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्ति किया गया।

3.2

इसकी स्थापना स्कैण्डनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओमबुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई है।

3.3

ज्ञातव्य है कि भारत में लोकपाल अधिनियम 16 जनवरी, 2014 से प्रभावी है।

4 लोकपाल के क्षेत्राधिकार

4.1

लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हों।

4.2

संसद में कही गई किसी बात या दिये गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्तिगत शामिल हैं जो ऐसे किसी निकाय/समिति का प्रभारी (निदेशक/ प्रबंधक/सचिव) है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो।

4.3

लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें। इसके पास CBI की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

1 चर्चा का कारण

1.1

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में दो बड़े नाम हैं नामों में समानता होने के वावजूद भी इनके कार्यों में काफी असमानता है।

2 अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)

2.1

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए पेरिस शांति सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी, राजनीतिक नेताओं व अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया।

2.2

1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत की आवश्यकता को मान्यता दी।

2.3

आईसीसी के लिए अंतिम मसौदा कानून 1994 में महासभा को प्रस्तुत किया गया। 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई।

3 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

3.1

1945 में जी. एच. हैकवर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए कानून बनाने का कार्य सौंपा गया।

3.2

अप्रैल 1945 में समिति की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को औपचारिक रूप से भंग कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहली बैठक हुई।

3.3

वर्तमान में इसके अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद युसुफ हैं। इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में है।

4 आईसीसी व आईसीजे में मुख्य अंतर

4.1

आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है, और यह संयुक्त राष्ट्र का भाग नहीं है, जबकि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है जो प्राथमिक न्यायिक शाखा के रूप में काम करता है।

4.2

वर्तमान में आईसीसी में लगभग 122 सदस्य देश हैं। भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। आईसीजे में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश अर्थात् 193 देश शामिल हैं।

4.3

आईसीसी रोम संविधि से अपने अधिकार को प्राप्त करता है, जो 2002 में अनुसमर्वित हो गया था। अमेरिका जैसे कुछ देश जिन्होंने इस संधि की पुष्टि तो की है परंतु कभी इसके सदस्य देश नहीं बने।

4.4

आईसीसी अपराधिक मामलों को देखता है। जब राज्य की कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, या जब कोई सरकार जघन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की अपराधी होती है, तो आईसीसी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

4.5

आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से अपने अधिकार को प्राप्त करता है वे देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून की पुष्टि करके आईसीजे के पक्षकार भी बन सकते हैं।

4.6

आईसीजे एक सिविल कोर्ट है, यह सदस्य-राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। यह राज्यों के बीच शांति, सुरक्षा व सहयोग की मुख्य गांरटी प्रदान करता है, इसलिए इसे विश्व का न्यायालय कहा जाता है।

4.7

आईसीसी में 18 जजों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मामलों पर निर्णय दिया जाता है, जो 9 साल तक कार्यरत होते हैं। ये सभी सदस्य देशों से ही चुने जाते हैं।

4.8

आईसीजे का गठन 15 जजों द्वारा होता है जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ये सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इन 15 न्यायाधीशों में 5 पश्चिमी देशों से, 3 अफ्रीकन देशों से, 2 पूर्वी यूरोपीय देशों से, 3 एशियन देशों से और 2 लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देशों से होते हैं।

5 निष्कर्ष

5.1

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई मायनों में काफी अलग हैं, जैसे उनके कार्यक्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध, अधिकार क्षेत्र आदि।

5.2

हालांकि दोनों संगठनों का मूल मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को सुविधाजनक बनाना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि वैश्विक स्तर पर कानून के अनुसार कार्य हो।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो मिशन के तत्त्वावधान में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICONSAT) का शुभारंभ कोलकाता के बिस्वा बांग्ला पारंपरिक केन्द्र में किया गया।

2 आई एन सी ओ एन एस एटी (INCONSAT)

2.1

यह भारत में आयोजित होने वाली द्विवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एक श्रृंखला है।

2.2

यह कार्यक्रम नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा की गई हालिया प्रगति को सामने लाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।

2.3

इससे पूर्व वर्ष 2018 में इसका आयोजन नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र बंगलुरू में व 2016 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे में किया गया था।

2.4

2020 के सम्मेलन का आयोजन एस.एन बोस नेशनल संेटर फॉर बेसिक साइंस, कोलकाता द्वारा किया गया है।

3 सम्मेलन की विशेषताएँ

3.1

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश के युवा शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है।

3.2

सम्मेलन में उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप कम्पनियों के लिए एक औद्योगिक सत्र का आयोजन भी किया गया ताकि औद्योगिक-अकादमिक संवाद को बढ़ावा मिल सके।

3.3

इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भौतिक और रासायनिक सामग्री के साथ-साथ जैविक विज्ञान के कई विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

3.4

नैनो-सामग्रियों पर मौजूदा शोध के अलावा, कई उभरते क्षेत्रों जैसे क्वांटम पदार्थ, ऊर्जा सामग्री और कृषि के लिए नैनो प्रौद्योगिकियों को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के नैनो मिशन के चिन्हित क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

4 नैनो मिशन

4.1

भारत सरकार ने मई, 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन (नैनो मिशन) कार्यक्रम की शुरूआत की थी।

4.2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मिशन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

4.3

नैनो मिशन इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित अम्ब्रेला कार्यक्रम है।

सांसदों का निलंबन

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में कांग्रेस के 7 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया। यह निलंबन सदन में गलत बर्ताव के कारण हुआ था।

2 निलंबन का कारण

2.1

सामान्य सिद्धांत यह है कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और कर्तव्य यह निर्धारित करना है कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखे ताकि सदन सुचारू रूप से कार्य कर सके।

2.2

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदन की कार्यवाही उचित तरीके से चलती रहे, सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए (दिन के शेष भाग के लिए) या उनका नियंत्रण, दोनों का आदेश देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है।

3 नियम 373

3.1

यह नियम कहता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि किसी सदस्य का सदन में बर्ताव सदन को चलाने में पूरी तरह से बाधक बन रहा है, तो वह उस सदस्य को तुरंत सदन से बाहर करा सकते हैं और पूरे दिन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का आदेश भी दे सकते हैं।

3.2

यदि सदस्य फिर भी नहीं संभले या मामला अति गंभीर हो तो लोकसभा अध्यक्ष नियम 374 और 374 (ए) के तहत कदम उठा सकते हैं।

4 नियम 374

4.1

लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य (एक या अधिक) के नाम का ऐलान कर सकते हैं, जिसने सदन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर अपने बर्ताव से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई हो।

4.2

जब लोकसभा अध्यक्ष ऐसे सांसद/सांसदों का नाम लेते हैं, तो वह एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखते हैं। इस प्रस्ताव में संबंधित सांसद का नाम लेते हुए उसके निलंबन की बात कही जाती है। निलंबन की अवधि भी बताई जाती है। यह अवधि अधिकतम सत्र की समाप्ति तक की हो सकती है। सदन किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है।

5 नियम 374 (ए)

5.1

सदन में नियमों का घोर उल्लंघन करने वाले, वेल (अध्यक्ष के आसन के निकट) में आने वाले, लगातार जान-बूझ कर कार्यवाही बाधित करने वाले सांसद का अगर अध्यक्ष ने नाम ले लिया तो वे पाँच दिनों के लिए या सत्र की समाप्ति तक (जो भी पहले हो) स्वतः निलंबित हो जाते हैं। हालांकि, सदन चाहे तो किसी भी वक्त इस निलंबन को खत्म करने का प्रस्ताव पारित करा सकता है। यह अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं है।

6 राज्यसभा में निलंबन की प्रक्रिया

6.1

लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन कर सकते

7 नियम-255

7.1

राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो, को तत्काल राज्यसभा से बाहर जाने का निर्देश दे सकेगा और जिस सदस्य को यह आदेश दिया जाए वह तुरंत उस दिन बैठक के अवशिष्ट समय तक अनुपस्थित रहेगा।

7.2

हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत, राज्यसभा के सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं है।

8 किसी सदस्य के निलंबन को निरस्त करने की प्रक्रिया

8.1

सदस्यों के निलंबन का अधिकार तो लोकसभा अध्यक्ष का है लेकिन उनके निलंबन को निरस्त करने का अधिकार उनके पास नहीं है। निलंबन निरस्त करने का अधिकार सदन में निहित है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

न्यायाधिकरण

1 चर्चा में क्यों?

1.1
हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों के सामंजस्य व नियुक्ति प्रक्रिया को कारगार बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

1.2
वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के अंतर्गत 'ट्रिब्यूनल,अपीलीय ट्रिब्यूनल व अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव व अन्य शर्तें) नियम 2020' शीर्षक से जारी किया गया।

2 न्यायाधिकरण क्या है?

2.1
मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं हैं। संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया भाग XIV-क जोड़ा गया।

2.2
इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया जिसमें दो अनुच्छेद- 323क प्रशासनिक अधिकरण, 323ख अन्य अन्य मामलों के अधिकरण

2.3
अनुच्छेद 323क के अनुसार, केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है जबकि 323ख के अनुसार संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरणों का गठन कर सकती हैं।

2.4
न्यायाधिकरणों को सिविल अदालतों की भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें समन जारी करना व गवाहों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना शामिल है।

2.5
इनका निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी है, तथा निर्णय के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है।

2.6
न्यायाधिकरणों को सिविल प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किसी भी समान प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करना पड़ता बल्कि उन्हें केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है।

3 न्यायाधिकरणों के लाभ

3.1
न्यायाधिकरण प्रक्रिया में कठोर नियमों से नियंत्रित न होकर सामाजिक व आर्थिक जीवन के परिवर्तनशील चरणों से सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में लचीलापन व अनुकूलता आयी है।

3.2
न्यायाधिकरण पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के अपेक्षाकृत कम औपचारिकताओं के साथ विवादों का कम खर्च में और शीघ्रता से निपटारा करते हैं।

3.3
न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों को अत्यधिक आवश्यक राहत प्रदान करता है जिनपर पहले से ही अनेकों मुकदमों का अतिरिक्त बोझ है।

4 न्यायाधिकरणों की समस्याएँ

4.1
न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है, इसे कार्यपालिका आंशिक रूप से नियंत्रित करती है, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।

4.2
यह अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की भूमिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और उन्हें न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति से वंचित करता है।

4.3
संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की गयी है, परंतु यह स्वतंत्रता न्यायाधिकरणों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन हैं जो इनकी नियुक्ति, कार्यकाल व पद से हटाने का निर्णय करती है, जिसके फलस्वरूप हितों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।

4.4
न्यायाधिकरणों में अनिर्णित मामलों में 25% की वृद्धि हुई है।

4.5
न्यायाधिकरण अनेक बार त्वरित न्याय देने में अक्षम सिद्ध हुए हैं जो शीर्ष न्यायालय में वादी के विश्वास को कमजोर करता है।

5 विधि आयोग की रिपोर्ट

5.1
आयोग ने न्यायाधिकरण के कामकाज की निगरानी तथा न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल व सेवा शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक कॉमन नोडल एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

5.2
आयोग ने कहा है कि सदस्यों का चयन निष्पक्ष हो, चयन में सरकारी एजेंसियों की भागीदारी न्यूनतम हो।

5.3
सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में आयोग ने कहा कि अध्यक्ष 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तथा उपाध्यक्ष व सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

6 आगे की राह

6.1
उच्च न्यायालय/ जिला न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र को एक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए नए गठित न्यायाधिकरण के सदस्यों को उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के समान अर्हता धारण करनी चाहिए।

6.2
देश के विभिन्न भागों में न्यायाधिकरण की खण्डपीठों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लोगों की न्याय तक आसान पहुँच हो।

राष्ट्रद्रोह कानून

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई लोगों पर देश भर में राष्ट्रद्रोह कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

2 राष्ट्रद्रोह कानून

2.1

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A में राष्ट्रद्रोह की चर्चा की गई है।

2.2

आईपीसी की धारा 124A के अनुसार, 'यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।'

2.3

हालांकि इस धारा में सरकार या प्रशासन की आलोचना को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

2.4

19वीं एवं 20वीं शताब्दी की शुरूआत में इस कानून का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विरूद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था।

2.5

भारत में राष्ट्रद्रोह एक संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराध है साथ ही इसमें दोनों पक्षों के बीच किसी की प्रकार की सुलह का प्रावधान भी नहीं है।

3 राष्ट्रद्रोह पर एनसीआरबी के आंकड़े

3.1

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2014 से राष्ट्रद्रोह के आंकड़ों को पृथक रूप से एकत्र कर रहा है।

3.2

2014 में एनसीआरबी ने कुल 47 राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज किये थे और 58 गिरफ्तारियाँ की थीं। वहीं 2015 और 2016 में क्रमशः 30 और 35 मामले दर्ज किये गये थे।

3.3

2017 में 57 और 2018 में 70 मामले दर्ज किये गये।

3.4

नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद से राष्ट्रद्रोह के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई और 194 से ज्यादा मामलें अभी तक दर्ज किये गये।

3.5

हालांकि, पिछले चार साल से राष्ट्रद्रोह के दर्ज मामलों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है लेकिन अभी तक केवल 4 मामलों में ही सजा हुई है।

4 विधि आयोग की राय

4.1

अगस्त 2018 में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर पुनर्विचार करने और उसे समाप्त करने की सिफारिश की थी।

4.2

हालांकि विधि आयोग ने 42वीं रिपोर्ट (1971) में इस धारा को संविधान, विधायिका और न्यायपालिका के संबंध में भी विस्तारित करने की सिफारिश की थी।

4.3

वहीं 39वीं रिपोर्ट (1968) में विधि आयोग ने इस धारा को हटाने से संबंधित विचार को ही खारिज कर दिया था।

5 आगे की राह

5.1

राष्ट्रद्रोह एक विशिष्ट और गंभीर अपराध है हालांकि कई बार सरकार द्वारा सामान्य नागरिकों द्वारा की जा रही शिकायतों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग भी किया जाता है।

5.2

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे दुरुपयोगों की पहचान करे तथा भविष्य में ऐसे दुरुप्रयोगों को रोकने का प्रयास करे।

5.3

न्यायपालिका को प्रत्येक राज्य में एक सर्च कमेटी गठित करनी चाहिए तथा एक न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह स्वतः संज्ञान लेकर राष्ट्रद्रोह के मामले के आधार की वास्तविकता की जाँच कर सके।

5.4

केंद्रीय विधायिका के पास ही ऐसे कानूनों को बनाये रखने या समाप्त करने की अंतिम शक्ति है अतः सरकार को ऐसे कानूनों के दुरुपयोगों से बचना चाहिए।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर

(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 समावेशी इंटरनेट सूचकांक-2020

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी किया जाता है।
2. इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग भारत में होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit- EIU) द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2020 (Inclusive Internet Index-2020) प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट का सबसे कम इस्तेमाल पाकिस्तान में और सबसे अधिक भारत में होता है। इस तरह दोनों कथन सत्य हैं।

02 लोकपाल नियम- 2020

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोकपाल नियम 2020 के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।
2. नए नियमों के अनुसार विदेशी नागरिकों को लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है।
3. लोक सेवकों के खिलाफ सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम तथा तटरक्षक बल अधिनियम के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लोकपाल नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी पहचान का वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध करना आवश्यक है। अतः कथन 1 गलत है। विदेशी नागरिक भी लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अतः कथन 2 भी गलत है। इस संदर्भ में कथन 3 सही है।

03 अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

प्र. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई।
2. भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य देश है।
3. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में लगभग 122 सदस्य देश हैं। भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। इस तरह कथन 2 और 3 गलत है।

04 नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

प्र. नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नैनो मिशन इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित अम्ब्रेला कार्यक्रम है।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मिशन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।
3. नैनो मिशन कार्यक्रम की शुरूआत मई, 2007 में की गयी थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारत सरकार ने मई, 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन (नैनो मिशन) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मिशन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। नैनो मिशन इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित अम्ब्रेला कार्यक्रम है। इस तरह तीनों कथन सही हैं।

05 सांसदों का निलंबन

प्र. सांसदों के सदन से निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोकसभा के सदस्यों का निलंबन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
2. राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन राज्यसभा के उप-सभापति के द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः सामान्य सिद्धांत यह है कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और कर्तव्य यह निर्धारित करना है कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखे ताकि सदन सुचारू रूप से कार्य कर सके। लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य (एक या अधिक) के नाम का ऐलान कर सकते हैं, जिसने सदन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझ कर अपने बर्ताव से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचाई हो। लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन कर सकते हैं। इस तरह दोनों कथन गलत हैं।

06 न्यायाधिकरण

प्र. न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ये अर्द्धन्यायिक निकाय होते हैं।
2. इनका गठन केन्द्रीय विधायिका और राज्य विधायिका दोनों के द्वारा किया जाता है।
3. संविधान में न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गये थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः मूल संविधान में न्यायाधिकरणों के संबंध में उपबंध नहीं हैं। संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया भाग ग्प्ट.क जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया जिसमें दो अनुच्छेद- 323क प्रशासनिक अधिकरण, 323ख अन्य मामलों के अधिकरण। अनुच्छेद 323क के अनुसार, केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है जबकि 323ख के अनुसार संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरणों का गठन कर सकती हैं। इस तरह तीनों कथन सही हैं।

07 राष्ट्रद्रोह कानून

प्र. राष्ट्रद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आईपीसी के धारा 124। राष्ट्रद्रोह से संबंधित है।
2. इसके अंतर्गत सरकार एवं प्रशासन की आलोचना करना भी राष्ट्रद्रोह में शामिल है।
3. इसमें केवल आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है।

उपर्युत्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124। में राष्ट्रद्रोह की चर्चा की गई है। आईपीसी की धारा 124। के अनुसार 'यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखानें की कोशिश करता है तो उसे तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।' हालांकि इस धारा में सरकार या प्रशासन की आलोचना को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

7 महत्वपूर्ण तथ्य

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु

01 हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2020 जीता?

-आस्ट्रेलिया

02 हाल ही में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है?

-अजय भूषण पाण्डेय

03 हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल साक्षरता के लिए **"I am also Digital"** कार्यक्रम की शुरूआत की है?

-केरल

04 हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

-यवोन फैरेल और शैली मैकनामारा

05 हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

-बिमल जुल्का

06 हाल ही में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्यू.एस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है?

- आईआईटी बॉम्बे

07. 'चापचर कुट' किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है?

-मिजोरम

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा हेतु

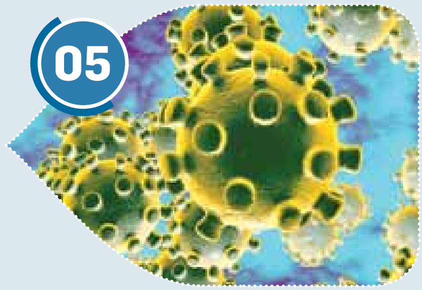

01 आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्त्व के साथ, डिजिटल विभाजन के प्रभाव पर चर्चा करें और बतायें कि यह भारत जैसे विकासशील देशों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है?

02 आयुष ग्रिड की विशेषताओं पर चर्चा करें और स्वास्थ्य बीमा पर इसकी प्रभावकारिता व आच्छादन (Coverage) की समीक्षा करें।

03 "अंतरिक्ष मिशन आम जनता की सेवा के लिए है न कि केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन व अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों के लिए।" टिप्पणी करें।

04 "महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा बहुत की गयी है, परन्तु जमीनी स्तर पर प्रगति बहुत कम हुई है" प्रांसगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

05 कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व तथा भारत के आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार असर पड़ा है? चर्चा करें।

06 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की विशेषताओं और प्रभाव पर प्रकाश डालिए।

07 नैनो मिशन की भूमिका और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 चंबल अभयारण्य को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया

हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone - ESZ) घोषित किया।

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में गांगेय डॉल्फिन और अत्यन्त लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं।
- इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आस-पास 10 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र हैं।
- इको सेंसिटिव जोन को भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- ESZ का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आस-पास की गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि नाजुक पारिस्थितिक तन्त्र पर नकारात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम किया जा सके।
- ESZ घोषित किए जाने के बाद यहाँ रिसार्ट्स, होटल, मॉल या अन्य किसी आवासीय और औद्योगिक भवनों के निर्माण प्रतिबंधित होगें।
- चंबल अभयारण्य विंध्य रेंज से शुरू होकर चंबल नदी और यमुना नदी तक फैला है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है।

02 सार्वजनिक बैंकों का विलय

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के विलय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने तथा 1 अप्रैल 2020 तक प्रक्रिया के पूर्ण होने की बात कहीं। बैंकों के विलय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना है।

- पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। विलय के पश्चात् यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
- केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। इस विलय की प्रक्रिया के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा।
- आन्ध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ यूनियन बैंक का विलय होगा। इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का 5वाँ सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
- इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी विलय होना है, इस विलय के पश्चात यह देश का 7वाँ सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। बैंको का यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।
- इस एकीकरण के बाद इन बैंकों में बड़े स्तर के तथ्यों में सहायता के साथ-साथ व्यापक वित्तीय क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संचालकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सभी एकीकृत बैंकों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने से बैंकों में उनकी लागत कुशलता तथा जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा एवं व्यापक पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में वृद्धि होगी।
- सभी एकीकृत बैंकों में उन्नत तकनीकों को अपनाने से न सिर्फ व्यापक योग्य समूह और एक बड़े डाटा बेस तक पहुँच होगी, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तेजी से डिजिटल होते बैंकिंग परिदृश्य में विश्लेषणात्मक कार्य क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने की स्थिति में होंगे।

03 नई दिल्ली में एकम (EKAM) उत्सव का आयोजन

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC) द्वारा

'उद्यमिता, ज्ञान, जागरुकता, विपणन (EKAM) उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 'EKAM उत्सव' दिव्यांगजन समुदाय के बीच उद्यमिता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है।

- यह विकलांग व्यक्तियों, उद्यमियों और कारीगरों को एक साथ लाने का मंच है जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैण्डलूम, एम्ब्रायडरी वर्क और ड्राई फ्रूट्स से लेकर अनेक उत्पाद देखने को मिलें।
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC) 1997 में निर्मित एक गैर-लाभकारी संगठन है और यह आर्थिक पुनर्वास के लिए दिव्यांगजनों (PwD) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्यमों को विकसित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रमों का भी संचालन करता है।
- एकम महोत्सव उस समावेश और एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो विपणन मंच और उत्पादों के एकत्रीकरण को विकसित करने के लिए NHFDC द्वारा किए गए प्रयासों का उचित वर्णन करता है।
- एकम फेस्ट में 17 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 82 दिव्यांगजन उद्यमी/शिल्पकार तथा संगठन अपने उत्पादो, सेवाओं और कौशल प्रदर्शन के माध्यम से अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस वर्ष, महोत्सव में जम्मू और कश्मीर और उत्तरपूर्वी क्षेत्र से जीवंत उत्पादों का प्रदर्शन हुआ है जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और सूखे मेवे के उत्पाद शामिल हैं।

04 फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मानव अधिकार का प्रहरी कही जाने वाली संस्था फ्रीडम हाउस (Freedom House) ने 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020' नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस वार्षिक रिपोर्ट का शीर्षक "A Leaderless Struggle for Democracy" है, जिसमें सात क्षेत्रों में 25 संकेतकों का उपयोग करते हुए 195 देशों की रैंकिंग की गयी है। ये सात क्षेत्र चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया एवं बहुलतावाद, शासन के कार्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास, कानून का नियम, व्यक्तिगत अधिकार और संस्थागत अधिकार है।

- यह रिपोर्ट अंकों के आधार पर देश की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस रिपोर्ट में फिनलैण्ड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए है। इन अंकों के आधार पर देश की स्वतंत्रता पर आधारित 3 श्रेणियां बनाई गई है- 'स्वतंत्रता, आंशिक रूप से स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं'। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश को 39 अंक, पाकिस्तान को 38 अंक और चीन को 10 अंक प्राप्त हुए है।
- इस वर्ष भारत 71 अंको के साथ 83वें स्थान पर तिमोर लेस्टे और सेनेगल के साथ रखा गया है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भारत को 75 अंक प्राप्त हुए थे।
- भारत की अंकों में कमी जम्मू कश्मीर में शटडाउन, नागरिक रजिस्टर और नागरिक संशोधन बिल के आने से एक अच्छे-खासे विरोध के कारण हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विरोध प्रदर्शन की वजह से धर्मनिरपेक्ष एवं समावेश में आंशिक कमी देखी गयी है।

05 अमेजन इंडिया का DAY-NULM के साथ समझौता

हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपने प्रमुख कार्यक्रम अमेजन सहेली के प्रतिभागी के रूप में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय की दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के साथ साझेदारी किया है।

- इसके अंतर्गत अमेजन इंडिया (DAY-NULM) स्टेट मिशनों के स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिला उद्यमियों को सहयोग देगा और उन्हें प्रशिक्षित व सशक्त करेगा और महिला उद्यमियों को देश के अमेजन ग्राहकों के समक्ष अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए बाजार उपलब्ध कराएगा।
- इस भागीदारी से महिला उद्यमियों को लाभ होगा।
- अमेजन सहेली, महिला उद्यमियों को उनके उत्पाद बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस मुहैया कराने और उन्हें आसानी से ऑनलाइन, इमेजिंग और कैटलॉगिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सब्सिडाइज्ड रेफरल फीस और फ्री अकाउट मैनेजमेंट में सहायता करेगा।
- अमेजन सहेली कार्यक्रम 2017 में सेवा और इमपल्स सोशल इंटरप्राइज के साथ शुरू की गई थी। अमेजन सहेली पर महिला उद्यमियों के सूचीबद्ध उत्पादों की विविधतापूर्णशृंखला है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके भागीदारों को गहन प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं के तहत महिला उद्यमियों को ऑनलाइन बिक्री की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वे अमेजन पर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जानकारी हासिल कर कुशल एवं सक्षम उद्यमी बने।

06 अंटार्कटिका में रेड स्नो

कुछ समय पहले अंटार्कटिका के सबसे उत्तरी प्रायद्वीप के तट पर यूक्रेन के वर्नाडस्की रिसर्च बेस के चारों तरफ बर्फ की एक परत देखी गयी जिसका रंग तरबूज के आधे कटे हुए भाग की तरह लाल है। इसे 'वाटरमेलन स्नो या रेड स्नो' कहा जा रहा है।

- अंटार्कटिका, दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व की सबसे ठण्डी, शुष्क एवं तेज हवाओं वाली जगह है।
- यहाँ पर मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है। यहाँ अधिकतर देशों के रिसर्च स्टेशन स्थित हैं। अंटार्कटिका के उत्तरी प्रायद्वीप पर यूक्रेन का वर्नाडस्की रिसर्च बेस है जहाँ ऐसी घटना देखी गयी। 'भारती' नामक रिसर्च बेस भारत का भी अंटार्कटिका पर स्थित है।
- पिछले दिनों अंटार्कटिका में बहुत गर्मी हुई थी जिसके कारण बर्फो का पिघलना व्यापक मात्रा में देखा गया था। बर्फो के पिघलने की वजह से सूर्य का प्रकाश सीधे शैवाल पर पड़ा। प्राकृतिक अनुकुलता के बढ़ने से शैवालों की मात्रा में वृद्धि देखी गयी।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि शैवालों का रंग खून जैसा लाल, एक लाल पिगमेण्ट 'क्लेमाइडोमोनास' की वजह से हो रहा है जो अधिकतर ठण्ड एवं बर्फीले जगह पर पाए जाते हैं।
- अंटार्कटिका में शैवालों का बढ़ना और बर्फ का पिघलना जलवायु के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे पहले जनवरी में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पेन के टॉसा डे मार शहर में देखा गया, जिसमें राख और फोम की परत से पूरा शहर प्रभावित था। इस तरह के प्रभाव जैव विविधता के लिए बहुत हानिकारक है।

07 प्रज्ञान सम्मेलन 2020

हाल ही में सेंटर फॉर लैण्ड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) द्वारा आयोजित भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'प्रज्ञान सम्मेलन 2020' नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ।

- इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, युद्ध के बदलते परिवेश और सेना पर इसके प्रभाव पर विचार-विमर्श किया।
- सेंटर फॉर लैण्ड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) एक स्वायत्त विचार विमर्श का मंच है। CLAWS, सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1860, के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। इस संस्था का निर्माण 14 जनवरी 2004 को हुआ था।
- CLAWS एक सदस्यता आधारित मंच है, जिसके सदस्य सैन्य विभाग, युद्ध शोधक विभाग, राजनीतिक समुदाय के सदस्य और इच्छुक नागरिक होते हैं। CLAWS का मोटो "Victory through Vision" के माध्यम से विजय है।
- प्रज्ञान सम्मेलन का आयोजन दो सत्रों में हुआ। प्रथम सत्र में विशेषज्ञों ने युद्ध प्रणाली विकास और बदलती परिस्थिति पर चर्चा की।
- विशेषज्ञों ने भविष्य के युद्ध लड़ने में उभरती प्रवृत्तियों तथा संभावनाओं की दृष्टि से सेना पर इसके प्रभाव को लेकर विचार विमर्श किया।
- दूसरे सत्र में प्रौद्योगिक क्रांति-मौलिक चुनौती के विषय पर चर्चा की गई। चर्चा में बहुपक्षीय कारवाईयों में इन्फॉरमेशन वारफेयर, साइबर, अतंरिक्ष युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स के प्रभाव की चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करना था।

7 महत्वपूर्ण बिंदु

साभार पीआईबी

01 ब्लैक कार्बन

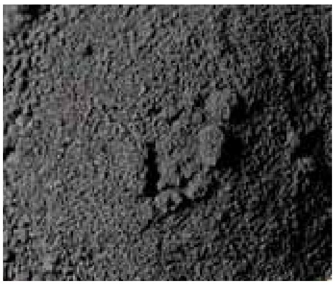

हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिका 'ऐटमोस्फियरिक एनवायरमेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, "ब्लेक कार्बन" के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण 'गंगोत्री हिमनद' के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती है।

- अध्ययन के अनुसार, गर्मियों के दौरान इस क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की मात्रा 400 गुना बढ़ जाती है। यह ब्लैक कार्बन के प्रकाश-अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लेशियर को और अधिक पिघला सकता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्लूआईएचजी) के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2016 के लिए गंगोत्री ग्लेशियर के पास चिरबासा स्टेशन में किए गए एक अध्ययन में, इस क्षेत्र में ब्लैक कार्बन (बीसी) की अधिकता की पुष्टि की है, जिसमें गर्मियों के दौरान काफी वृद्धि हुई।
- ब्लैक कार्बन की सामयिक अधिकता की जांच से यह पता चला था कि यह सीजन के दौरान कृषि अवशेष जलाने (देश के पश्चिमी भाग में), गर्मियों में जंगल की आग (हिमालयी ढलानों के साथ) से उत्पन्न उत्सर्जन के साथ-साथ कुछ हद तक सर्दियों में लंबी दूरी के वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण से काफी प्रभावित थी।
- समतुल्य ब्लैक कार्बन (ईबीसी), एरोसोल अपने हल्के अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिमालयी ग्लेशियर घाटियों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में उनकी उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
- डब्ल्यू ईबीसी (Equivalent Black Carbon) का मासिक औसत सांद्रता अगस्त में न्यूनतम और मई के महीने में अधिकतम पाई गई। इस मौसमी सांद्रता के कारण ही प्राचीन हिमनद स्रोत की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का पता चलता है।

ब्लैक कार्बन क्या होता है?

- ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter % PM) है जो वायुमंडल के ताप को बढ़ाता है। यह वायुमंडल में उत्सर्जन के कुछ दिनों से सप्ताहों तक स्थिर रहने वाला एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। इस छोटी अवधि के दौरान ब्लैक कार्बन जलवायु, हिमनद क्षेत्रों, कृषि और मानव स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव डाल सकता है।

02 दिव्यांग महिलाओं के कल्याण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता

हाल ही में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार सरकार देश के दिव्यांगजनों, विशेष रूप से महिला दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनेक नई योजनाएं शुरू की है।

- इस मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एडीआईपी शिविरों के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के दौरान 3,23,345 महिला दिव्यांग लाभार्थियों ने सहायता और उपकरण प्राप्त किए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दिव्यांग महिला लाभार्थियों की संख्या 27431 रही।
- दिव्यांगजनों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और शीर्ष श्रेणी शिक्षा में कुल छात्रवृत्ति के 50 प्रतिशत स्थान और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति के 30 प्रतिशत स्थान बालिका उम्मीदवारों के

लिए आरक्षित हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या 30950 रही।

- केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार दिव्यांग महिलाएं सरकारी क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं और आईएएस, आईएफएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में काम कर रही हैं। यहां तक कि निजी क्षेत्र, अस्पतालों, आतिथ्य सत्कार में भी दिव्यांग महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा, खेल, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में भी ये काम कर रही हैं।
- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने दिव्य कला शक्ति के दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें दिव्यांग लड़कियों, महिलाओं के साथ बच्चों ने भी नृत्य, गीत और संगीत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
- गौरतलब है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है।
- यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता और भेदभाव न करने की गारंटी देता है। इस अधिनियम में सामुदायिक जीवन, संरक्षण (दुरुपयोग, हिंसा और शोषण), न्याय तक पहुंच आदि से संबंधित विभिन्न अधिकार शामिल हैं।

इस अधिनियम में कुछ प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं:

- प्रसव पूर्व, नवजात और प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल के लिए उपाय करना।
- विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिए यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य देखभाल।
- इस अधिनियम में दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने के लिए अपराधों और दंडों के बारे में भी एक अध्याय शामिल है जिसमें कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है और यह सजा आर्थिक दंड के साथ पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

03 फ्लो डायवर्टर स्टेंट टेक्नोलॉजी

हाल ही में श्री चित्रा थिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी) तिरुवंतपुरम की अनुसंधान टीम ने रक्त वाहिकाओं के धमनीविस्तार के उपचार के लिए एक अभिनव इंट्राक्रॉनियल फ्लो डायवर्टर स्टेंट विकसित किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह जानवरों में स्थानांतरण और परीक्षण के बाद मानव परीक्षण के लिए भी तैयार है।

- फ्लो डायवर्टरों को जब एन्यूरिज्म से ग्रस्त मस्तिष्क की धमनी में तैनात किया जाता है तब यह एन्यूरिजम से रक्त का प्रवाह बदल देता है, इससे रक्त प्रवाह के दबाव से इसके टूटने की संभावना कम हो जाती है।
- एन्यूरिज़्म के टूटने से मस्तिष्क के चारों ओर रक्तस्राव हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप होने वाली स्थिति को सबाराकनाइड हेमोरेज (एसएएच) कहा जाता है। सबाराकनॉइड रक्तस्राव से पक्षाघात, कोमा या मृत्यु हो सकती है।
- एन्यूरिज्म के सर्जिकल उपचार में खोपड़ी को खोलकर एन्यूरिज्म की गर्दन पर एक क्लिप लगाई जाती है ताकि रक्त प्रवाह के मार्ग को कट किया जा सके।
- आयातित फ्लो डायवर्टर स्टैंट का मूल्य 7-8 लाख रूपये है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के फलस्वरूप इस उपकरण को सस्ते दर पर बेचा जा सकता है।
- उम्मीद है कि इस उपकरण को जल्दी ही उद्योग को सौंपा जाएगा और इसका व्यावसायीकरण करने से पहले पशुओं और मनुष्यों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। गौरतलब है कि एससीटीआईएमएसटी ने स्टैंट और आपूर्ति प्रणाली के लिए अलग-अलग पेटेंट दायर किए हैं।

04 क्वांटम सेंसिंग

हाल ही में रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) ने एन्टैंगलमेंट सिद्धांत का उपयोग करते हुए क्वांटम सिक्का अथवा 'क्यूबिट' की सटीकता जानने के लिए एक नया परीक्षण विकसित किया है, जो क्वांटम कम्प्यूटर में सूचना की बुनियादी या मूल यूनिट है।

- यह दरअसल क्वांटम की स्थिति की पहचान करने में एक उल्लेखनीय योगदान है, जो क्वांटम सूचना विज्ञान का एक आवश्यक पहलू है। इससे क्वांटम सेंसिंग पर उल्लेखनीय असर पड़ने की आशा है।
- नए परीक्षण में 'एन्टैंगलमेंट' का उपयोग किया जाता है, ताकि क्वांटम सिक्के की सटीकता का परीक्षण किया जा सके।
- 'एन्टैंगलमेंट' दरअसल एक विशेष प्रकार का सह-संबंध है जो

क्वांटम की दुनिया में मौजूद है और जिसका कोई पारम्परिक समकक्ष नहीं है।

- आरआरआई के अनुसंधानकर्ताओं ने इस क्वांटम संसाधन का उपयोग किया, ताकि क्वा्टम सिक्के (क्यूबिट) की सटीकता जानने के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण विकसित किया जा सके।
- इस रणनीति में 'एन्टैंगलमेंट' का उपयोग किया जाता है और इससे क्वांटम की स्थितियों की पहचान बेहतर ढंग से हो सकती है। इस तरह की अनुकूल स्थिति क्वांटम सेंसरों में अत्यंत अहम होती है।
- क्वांटम सूचना और क्वांटम कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी पर हो रहे अनुसंधान में काफी तेजी आई है। इससे 'डेटा प्रोसेसिंग' पर व्यापक असर पड़ने की आशा है, जो सूचना के इस युग में हमारे जीवन में केन्द्रीय भूमिका निभाती है, जैसे -बैंकिंग से जुड़े लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग, इत्यादि।

05 जन औषधि दिवस समारोह

जन औषधि दिवस (जेनेरिक मेडिसिन डे) जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 07 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 07 मार्च, 2019 को की गई थी।

- प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, ताकि रियायती दरों पर सभी को विशेषकर गरीब और वंचित लोगों को उच्च गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें।

जन औषधि योजना क्या है?

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 01 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMBJP) योजना की घोषणा की गई थी। जन औषधि केंद्र को विश्व की सबसे बड़ी खुदरा दवा शृंखला माना जाता है।
- इस योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतें सरकार द्वारा बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर जन औषधि स्टोर स्थापित किए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- देश के 700 जिलों में 6200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों में वित्त वर्ष 2019-20 में 390 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री हुई और इससे सामान्य नागरिकों के लिए कुल 2200 करोड़ रुपये की बचत हुई। यह योजना सतत और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का अच्छा साधन प्रदान करती है।

लाभ

- इस योजना के माध्यम से स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार के स्रोत भी बढ़ रहे हैं।
- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, औसत बिक्री 1.50 लाख रुपये (ओटीसी और अन्य उत्पादों सहित) प्रति स्टोर हो गई है।
- सभी PMBJP केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, गुवाहाटी, बैंगलोर और चेन्नई में चार प्रमुख स्टोर खोले गए हैं।
- जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं। कई दवाएं 90 प्रतिशत तक पैसा बचाती हैं। जेनेरिक दवाओं की औसत कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 40-60 प्रतिशत कम है। उदाहरण के लिए, कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एक दवा जो बाजार में लगभग साढ़े छह हजार रुपये की हैं, वहीं दवा जनऔषधि केन्द्रों पर सिर्फ 800 रुपये में उपलब्ध है।

06 नारी शक्ति पुरस्कार 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए।

- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण योगदान और विशिष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार 15 प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेष रूप से असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किये गये। इन उत्कृष्ट महिलाओं ने

सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- वर्ष 2019 के नारी शक्ति पुरस्कार विजेता कृषि, खेल, हस्तशिल्प, वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण, सशस्त्र बलों और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों से हैं।

नारी शक्ति पुरस्कार संस्थागत श्रेणियों और व्यक्तिगत श्रेणियों में महिलाओं के लिए दिया जाता है:

- **देवी अहिल्या बाई होल्कर पुरस्कार:** निजी क्षेत्र के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसने महिलाओं की भलाई और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है।
- **कन्नगी देवी पुरस्कार:** सर्वश्रेष्ठ राज्य जिसने बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में काफी सुधार किया है।
- **माता जीजाबाई पुरस्कार:** सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जिसने महिलाओं को सुविधाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **रानी गाइदिन्ल्यू जेलियांग पुरस्कार:** सर्वश्रेष्ठ नागरिक संस्था (सीएसओ) जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है।
- **रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार:** सर्वश्रेष्ठ संस्थान जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में महत्वतपूर्ण योगदान दिया है।
- **रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार:** जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों को जिसने महिलाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है।

- यह पुरस्कार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। मदुरै चिन्ना पिल्लई को माइक्रोक्रेडिट आंदोलन को शुरू करने और गरीबी में रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए 1995 ई. में पुरस्कार मिला था।
- इस पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार (INR 100,000) और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
- इसमें भारतीय वायु सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलटों मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी ,103 वर्षीय सुश्री मन कौर (जिन्होंने 93 वर्ष की उम्र में एथलेटिक्स आरम्भ किया), बीना देवी ('मशरूम महिला'), कलावती देवी (महिला राजमिस्त्री जिन्होंने कानपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में 4000 से अधिक शौचालयों के निर्माण का श्रेय हासिल है।) आदि को शामिल किया गया है।

07 महिला उद्यमी सशक्तिकरण

हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार के नीतिगत सरलीकरण से देश में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है।

- गौरतलब है कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में अब लगभग 80 लाख महिला उद्यमी हैं और पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के तहत महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 38% की वृद्धि के साथ उद्यमों की स्थापना हो रही है।
- 6000 से अधिक महिलाओं को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अगरबत्ती विनिर्माण और पैकेजिंग में प्रशिक्षित किया गया है। जम्मू-कश्मीर में बारामुला जिले के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बिजली से मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में 150 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा पुलवामा में लगभग 25 लड़कियों और कठुआ में लगभग 100 लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। जम्मू के पास नगरोटा की 125 महिलाएं हर रोज 7500 खादी की रुमालें बना रही हैं। अब केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 25% खरीदारी एमएसएमई से कर रहे हैं।
- सरकार के निर्देशों के अनुसार 4% खरीदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और 3% खरीदारी महिला उद्यमियों से होनी चाहिए। शहद उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक बाजार में शहद उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केटिंग वेबसाइट पर काम चल रहा है। महिलाओं को 'सौर चरखे' भी दिए जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, एमएसएमई विकास संस्थान जैसे संगठनों द्वारा चलाई जा रही वित्तीय मदद, बाजार तक पहुंच, उद्यमिता विकास, निर्यात एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के जरिए महिला उद्यमियों को मदद करता है।
- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्नि योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 3.13 लाख महिलाएं लाभान्वित हुईं।

7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ (ग्राफिक्स के माध्यम से)

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान

01 कीबुल लामजाओ

- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है।
- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में अद्वितीय है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, जहाँ कई प्रकार के पशु और पक्षी रहते हैं।
- कीबुल लामजाओ का प्रमुख आकर्षण संगाई हिरण है जो आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में संकटापन्न के रूप में अंकित है।
- कीबुल लामजाओ को 1966 में जैव अभयारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- कीबुल लामजाओ, लोकटक झील पर स्थित है।
- लोकटक झील, रामसर कन्वेन्शन का नामांकित स्थल है, आर्द्र भूमि होने की वजह से यहाँ जैव विविधिता बहुत अधिक है। इसके साथ ही समुद्री जीव-जन्तु व पौधे व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं।
- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अपने अनूठे पारितंत्र के कारण तैरता है, इस उद्यान में ज्यादातर वनस्पति तैरते हुए दलदल के रूप में हैं जिसे फुम्दी कहा जाता है।
- इस पार्क में समुद्री घास व्यापक मात्रा में पायी जाती है, जैसे-जिंजानिया लटीफोलिया, सिनोडोन डेक्टाइलोन, अल्पिनिया आदि।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण के अतिरिक्त हॉग हिरण, जंगली सुअर, एशियन सुनहरी बिल्ली, क्लाइंग फॉक्स इत्यादि पाए जाते हैं।
- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में बाढ़ की बारम्बारता, लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, व मछली व्यवसाय से जैव विविधता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है।
- स्थानीय लोग व सरकार पौधों एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं जैसे-प्रदूषक को पार्क में प्रतिबंधित करना, फुम्दी के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करना, संगाई महोत्सव मनाना, कुशलता-जागरूकता व प्रशिक्षण को बढ़ावा देना इत्यादि।

02 नामदफा

- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरूणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है।
- यह उद्यान मिश्मी पहाड़ियों की दफा बुम पर्वतमाला और पटकाई पर्वतमाला के बीच स्थित है।
- इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1985 वर्ग किमी. है। इसकी सम्पूर्ण सतह से ऊँचाई 200 से 4500 मीटर तक है।
- नामदफा को सन् 1972 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- 1983 में नामदफा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा इसी वर्ष 1983 में ही प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अन्तर्गत टाइगर रिजर्व बनाय गया।
- नामदफा, 'पैलिआर्कटिक और इण्डो मलायी जैव भौगोलिक क्षेत्र' के अन्तर्गत आता है जिसके परिणामस्वरूप यहाँ विभिन्न प्रजातियों का संयोजन है।
- नामदफा पार्क में आसामी मकॉन, छूलॉक गिब्बन, हार्नबिल्स और जंगली मुर्गा प्रमुख रूप से पाये जाते हैं।
- अधिक ऊँचाई पर टाइगर (बाघ), चीता, स्नो लेपर्ड (हिंम तेंदुआ) और क्लाउडेड बिल्ली जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- नामदफा उड़न गिलहरी (Namdapha Flying Squirrel) को IUCN की संकटापन्न प्राणी की सूची में रखा गया है।

03 काजीरंगा

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किमी. है 1950 में काजीरंगा को वन्यजीव अभयारणय तथा 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। काजीरंगा को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 899 वर्ग किमी. हो गया है।
- यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यूनस्को ने 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया।
- यह दुनिया के 5 दुर्लभ प्राणियों का संरक्षण स्थल है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंस और स्वैम्प हिरण पाये जाते हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क अफ्रीका के बाहर बंगाल टाइगर व तेदुंआ का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। 2006 में काजीरंगा को 'टाइगर रिजर्व' घोषित किया गया।
- यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है, जिसके पूर्व में गोलाघाट की सीमा से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कालियाभोमोरा पुल स्थित है।

04 कंचनजंघा

- कंचनजंघा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1977 में सिक्किम में की गई थी। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था।
- कंचनजंघा नेशनल पार्क के उत्तर में टेंट चोटी, पूर्व में माउंट लामो एंगडेन का रिज, दक्षिण में माउंट नर्सिंग एवं माउंट पंडिम और पश्चिम में कंचनजंगा पर्वत है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 849.5 वर्ग किमी है।
- यहाँ कई हिम क्षेत्र के जानवरों की प्रजातियाँ जैसे कि हिम तेंदुआ, हिमालय काला भालू, हिमालयन ताहर तथा लाल पांडा पाये जाते हैं।
- कंचनजंघा नेशनल पार्क एक बायोस्फियर रिजर्व भी है। कंचनजंघा इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीर रिजर्व है।
- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- केंद्र सरकार ने 2017 में 'सिक्योर हिमालय' परियोजना की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से इन राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम) के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाली सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण किया जा रहा है।

05 नोकरेक

- नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 47.48 वर्ग किलोमीटर है।
- नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊँचा बिन्दु है और यहाँ हाथी तथा हू लॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नोकरेक में तथा इसके आस पास वाले स्थानों में जंगली हाथियों के समूह, पक्षियों की दुर्लभ किस्में तथा दुर्लभ ऑर्किड के संरक्षण के लिए की गई थी।
- 2009 में यूनेस्को ने इसे वन्यजीव रिजर्व घोषित किया था।

06 ईन्टंकी

- ईन्टंकी राष्ट्रीय उद्यान (Ntangki National Park) नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित है और नागालैंड के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है।
- इस उद्यान में हूलॉक गिब्बन, सुनहरा लंगूर, धनेश, पाम सिवेट, ब्लैक स्टॉर्क, बाघ, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, गोह, अजगर, भालू आदि दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं।
- गौरतलब है कि ईन्टंकी आरक्षित वन को 1923 में स्थापित किया गया था।
- अप्रैल 1975 में, नागालैंड सरकार ने ईन्टंकी आरक्षित वन को ईन्टंकी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया तथा मार्च 1993 में इसे ईन्टंकी राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया।
- यह उद्यान पक्षियों, सरीसृप, स्तनधारियों और कीड़ों जैसी विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास है।
- पहाड़ों की श्रृंखला, विभिन्न चट्टानें और पार्क क्षेत्र की पूरी घाटी एक सुंदर रूप प्रदान करती है जो पर्यटकों और साहसिक गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

07 फौंगपुइ

- फौंगपुइ राष्ट्रीय उद्यान या फौंगपुइ ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पूर्वोत्तर भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है।
- यह प्राकृतिक गंतव्य मिजोरम के राजधानी आइजोल से लगभग 300 किमी की दूरी पर है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ ब्लीथ ट्रैगोपन, बाल्कन, सनबर्ड, डार्क-रंपेड स्विफ्ट, फिजेंट (मिजोरम राज्य पक्षी) आदि पाई जाती हैं।
- इसके अलावा यहां पहाड़ी बकरी, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सीरो, गोरल, एशियाई काला भालू, स्टंप-पूंछ वाले मैकक और कैप्ड लैंगूर जैसे जंगली जानवर भी पाये जाते हैं।
- इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम फौंगपुइ चोटी के नाम पर पड़ा है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। फौंगपुइ मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है।
- यह नेशनल पार्क मिजोरम के दक्षिण पूर्व की ओर से बर्मा के अपेक्षाकृत काफी निकट है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Guiding Generations
towards making a better India

उपलब्ध कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम : प्रीमियम बैच, मेंस बैच, फोकस बैच, सीसैट बैच एवं वैकल्पिक विषय

अन्य कार्यक्रम : ऑल इंडिया टेस्ट सीरिज, क्रैश कोर्स, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम), पीएमआई (PMI) एवं स्टूडेंट पोर्टल

उड़ान : उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल (10+2) के ठीक बाद छात्रों के सामर्थ्य को संचार एवं परामर्श के माध्यम से समग्र रूप से सशक्त करना।

प्रवेश प्रारम्भ
नया सत्र: 2020-21
बैच आरम्भ: अप्रैल-मई 2020
अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित केंद्र पर संपर्क करें
or
Logon to : www.dhyeyaias.com
or
Call: 011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA** 0120 4254088 | 9205336037, 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR : BIHAR SHARIF – 9507021386, PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, BIJNOR-8126670981, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

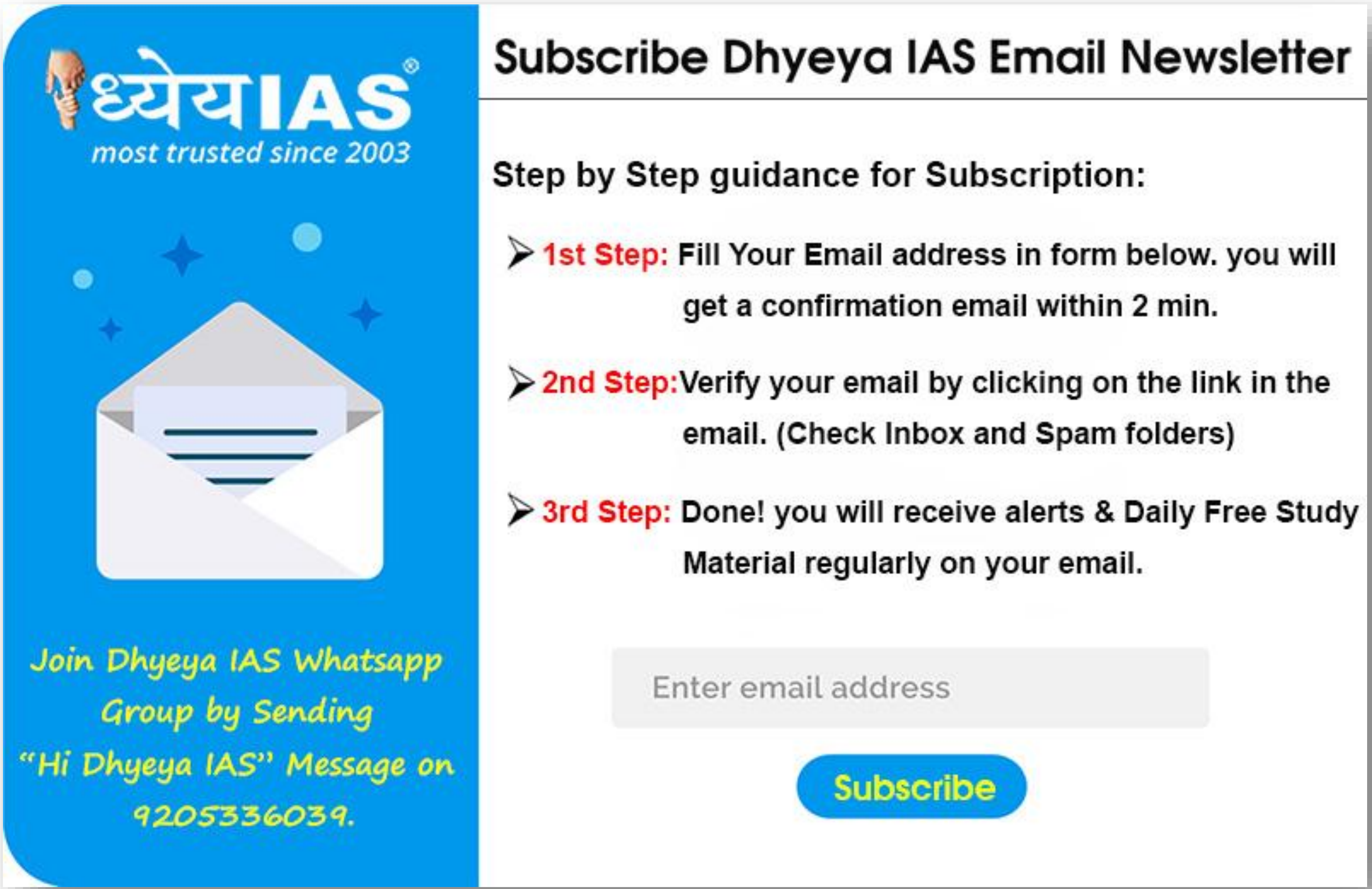

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400